

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 141/2011 सत्रवाद

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. निरंजन सिंह पुत्र जण्डेलसिंह राणा 66 वर्ष।
2. नारायणसिंह पुत्र माठू उर्फ रायसिंह उम्र 66 वर्ष।
3. योगेन्द्र सिंह उर्फ जोगेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू पुत्र  
नारायणसिंह उम्र 40 वर्ष।
4. अनिल सिंह पुत्र प्रेमसिंह उम्र 35 वर्ष।
5. अशोकसिंह पुत्र माठू सिंह उर्फ रायसिंह उम्र 48  
वर्ष।
6. पूरन उर्फ पुलन्दर सिंह पुत्र नारायण सिंह उम्र  
32 वर्ष।
7. सुरेन्द्र सिंह पुत्र माठूसिंह उर्फ रायसिंह उम्र 50  
वर्ष।
8. बदनसिंह पुत्र माठूसिंह उर्फ रायसिंह उम्र 54  
वर्ष। समस्त निवासीगण ग्राम निवरौल थाना  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

.....अभियुक्तगण

---

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री सुशील कुमार  
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क0. 124/2011 इ0फौ0  
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्र0 141/2011

---

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।  
अभियुक्तगण द्वारा श्री मुकेश गुप्ता अधि0 एवं श्री आर0डी0गुप्ता अधि0

---

//निर्णय//

//आज दिनांक 29-01-2015 को घोषित किया गया//

01. आरोपी योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र उर्फ पप्पू का विचारण धारा 148, 307/149, 302/149 भा०दं०वि० एवं धारा 25(1-बी)(ए), 27 आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप के संबंध में एवं आरोपीगण अशोकसिंह, नारायणसिंह, निरंजन सिंह का विचारण धारा 148, 307/149, 302/149 भा०दं०वि० के अपराध के आरोप के संबंध में और आरोपी सुरेन्द्रसिंह, बदनसिंह का विचारण धारा 148, 307/149, 302 विकल्प में धारा 302/149 भा०दं०वि० के आरोप के संबंध में किया जा रहा है और आरोपी पूरन उर्फ पुलंदरसिंह, अनिल सिंह का विचारण धारा 148, 307 विकल्प में 307/149, 302/149 भा०दं०वि० के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 20.11.2010 को प्रातः 07:30 बजे ग्राम निवरौल थाना गोहद कप्तानसिंह के घर के सामने विधि विरुद्ध समूह का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य हत्या व हत्या के प्रयास का था उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया। उन पर यह भी आरोप है कि इस दौरान घातक आयुध बंदूकों, कट्टों, लाठियों आदि से सुसज्जित रहकर बलवा कारित किया। आरोपीगण पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर विधि विरुद्ध समूह के सदस्य रहते हुए जिसका सामान्य उद्देश्य फरियादी बिक्रमसिंह को प्राण घातक हमला करने का था ऐसी परिस्थिति में या यह जानते हुए कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप आरोपी हत्या के दोषी हो जाते इस दौरान समूह के कुछ/सभी सदस्यों के द्वारा लाठियों, कुल्हाड़ियों से उस पर हमला कर उसे उपहति कारित की। आरोपीगण पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर विधि विरुद्ध समूह के सदस्य रहते हुए जिसका सामान्य उद्देश्य मृतक कल्याणसिंह की मृत्यु कारित करने का था उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए समूह के कुछ/सभी सदस्यों के द्वारा बंदूकों से कल्याणसिंह पर फायर कर उसकी मृत्यु कारित कर हत्या की गई। आरोपी सुरेन्द्र सिंह एवं बदनसिंह पर यह आरोप है कि उन्होंने साशय या जानबूझकर उसकी मृत्यु करने के आशय से कल्याणसिंह पर गोली चलाकर उसकी हत्या की। आरोपी योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र पर यह आरोप भी है कि वह घटना दिनांक को घटना स्थान पर अपने आधिपत्य में एक अग्नेय शस्त्र 315 बोर का कट्टा चालू हालत में बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे हुए था तथा उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त अवैध अग्नेय शस्त्र को प्राण घातक उपहति कारित करने के अपराध के प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अपने पास रखा।

02. यह अविवादित है कि आरोपीगण एवं फरियादी एक ही गाँव के रहने वाले हैं।

मृतक कल्याणसिंह फरियादी/रिपोर्टकर्ता बिक्रम सिंह का छोटा भाई था। सूचना कर्ता बिक्रमसिंह, उम्मेदसिंह, मोहकमसिंह, सोनू आरोपीगण को पूर्व से जानना पहिचानना भी अविवादित है।

03. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 20.11.2010 को सुबह 07:30 बजे फरियादी बिक्रमसिंह ग्राम निवरौल थाना गोहद में गोबर डाल रहा था, तभी उसका छोटा भाई कल्याणसिंह आ गया और वह गोबर डालने लगा। फरियादी कुँए पर पानी भरने लगा। उसका छोटा भाई कल्याण जब गोबर डालने के लिए निकला उसी दौरान गाँव के कप्तानसिंह के घर के सामने आरोपी अनिल लाठी, जोगेन्द्र 315 बोर का कट्टा, सुरेन्द्र सिंह व बदनसिंह माउजर बंदूक, निरंजन, नारायण लाठी, अशोक 12 बोर की दोनाली बंदूक लेकर एकराय होकर आए और उसके भाई कल्याणसिंह को मारपीट करते हुए कप्तानसिंह के घर के सामने से ले गए, वह बचाने के लिए आया तो सभी कहने लगे कि दोनों को जान से खत्म कर दो। इसी दौरान उसको अनिल और पुलंदर ने लाठी और कुल्हाड़ियों से मारना शुरू कर दिया। उसके छोटे भाई कल्याण को मारपीट कर घसीटते हुए पुलंदर के गौंडा की तरफ ले गए। आरोपी सुरेन्द्रसिंह, बदनसिंह, अशोक और जोगेन्द्र अपने अपने हथियारों से फायर करने लगे जिससे एक गोली कल्याण की बाईं तरफ गर्दन में तथा एक गोली नीचे जॉघ में एवं पीठ में लगी जिससे वह गिर पड़ा। फरियादी बिक्रम को भी सिर, नाक, चेहरे पर जगह जगह घाँव होकर मूदी चोटें आईं। घटना स्थल पर फरियादी के चिल्लाने पर सरपंच मोहकमसिंह, उम्मेदसिंह व अन्य लोग आ गए, तब आरोपीगण घटना स्थल से भाग गए। फरियादी अपने भाई कल्याणसिंह को टैक्टर में डालकर थाना लाने लगे तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। आरोपीगण के द्वारा पुरानी दुश्मनी के कारण फरियादी एवं उसके भाई के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट की जिसमें फरियादी के भाई की मृत्यु हो गई। फरियादी बिक्रमसिंह की रिपोर्ट पर से थाना गोहद में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 251/10 जो कि प्र. पी. 2 आरोपीगण के विरुद्ध लेखबद्ध की गई। सूचना के आधार पर मर्ग प्र.पी. 8 भी कायम किया गया।

04. अभियोजन प्रकरण आगे यह भी है कि घटना की रिपोर्ट के उपरांत आहत बिक्रमसिंह का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और मृतक कल्याणसिंह की लाश का नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 4 के अनुसार तैयार किया गया एवं उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। प्रकरण में विवेचना की गई। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 5 बनाया गया। प्र.पी. 6 के अनुसार घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी व कारतूस के खोखे और सोल की जप्ती की गई तथा साक्षी सोनू से एक शर्ट की जप्ती की गई।

आरोपी योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई और उसका मेमोरेडम कथन प्र.पी. 12 के आधार पर एक कट्टा चालू हालत में 315 बोर का प्र.पी. 18 के अनुसार जप्त किया गया। अन्य आरोपीगण नारायणसिंह, निरंजन, अनिल सिंह, पूरनसिंह व अशोकसिंह को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई और उनके मेमोरेडम कथन के आधार पर आरोपी अशोक से एक बंदूक 12 बोर की दुनाली एवं आरोपी पूरनसिंह से एक लोहे की कुल्हाड़ी, अनिल से वॉस की लाठी, निरंजन से वॉस की लाठी, नारायणसिंह के वॉस की लाठी जप्त की गई। आरोपी बदनसिंह को गिरफ्तार कर उसके आधिपत्य से 315 बोर की रायफल तथा आरोपी सुरेन्द्र सिंह के आधिपत्य से एक 315 बोर की रायफल की जप्ती की गई। जप्तशुदा वस्तुओं को परीक्षण हेतु न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया। आरोपी योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र के संबंध में उसके आधिपत्य से बिना लाइसेंस का अग्नेय शस्त्र बरामद होने के कारण उसके संबंध में आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग चलाने हेतु अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

05. आरोपीगण के विरुद्ध धारा प्रथम दृष्टिया आरोपी योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र उर्फ पप्पू पर धारा 148, 307/149, 302/149 भा0दं0वि0 एवं धारा 25(1-बी)(ए), 27 आयुध अधिनियम एवं आरोपीगण अशोकसिंह, नारायणसिंह, निरंजन सिंह पर धारा 148, 307/149, 302/149 भा0दं.सं0 एवं आरोपी सुरेन्द्रसिंह, बदनसिंह का विचारण धारा 148, 307/149, 302 विकल्प में धारा 302/149 भा0दं.सं0 एवं आरोपी पूरन उर्फ पुलंदरसिंह, अनिल सिंह का विचारण धारा 148, 307 विकल्प में 307/149, 302/149 भा0दं0वि0 का आरोप पाया जाने से उक्त धाराओं में आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

06. दं.प्र.सं. के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए पुरानी रंजिश के कारण झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया। आरोपी अशोक सिंह के द्वारा बताया गया है कि घटना दिनांक को वह ग्राम निवरौल में नहीं था, उसका पैर चोटिल होकर फ्रेक्चर हो गया था इस कारण से वह ग्वालियर में ट्रौमा सेंटर में भर्ती होकर प्लास्टर चढ़ा था। आरोपी बदनसिंह के द्वारा यह आधार लिया गया है कि वह भी घटना दिनांक को गाँव में नहीं था, अपने छोटे भाई अशोकसिंह जिसका कि पेर की हड्डी टूटकर प्लास्टर चढ़ा था उसकी देखरेख करने के लिए वह ग्वालियर गया था। आरोपी सुरेन्द्र सिंह के द्वारा भी यह आधार लिया गया है कि वह भी घटना दिनांक को

ग्राम निवरौल में नहीं था वह अपने बहनोई रविन्द्रसिंह के यहाँ टेकनपुर डबरा अखण्ड रामायण पूजा में गया था। अन्य आरोपीगण के द्वारा भी घटना स्थल पर मौजूद न होना बताया है। बचाव पक्ष की ओर से बचाव साक्षी रविन्द्र सिंह ब0सा0 1, जहेन्द्र सिंह ब0सा0 2, अरविंद सिंह ब0सा0 3, मानसिंह ब0सा0 4, डॉ0 ए0के0 सक्सैना ब0सा0 5 एवं प्रदीप ब0सा0 6 के कथन एवं दस्तावेज भी पेश किये हैं।

07. आरोपी के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 20.11.2010 को प्रातः 07:30 बजे या उसके करीब ग्राम निवरौल थाना गोहद में कप्तानसिंह के घर के सामने आरोपीगण के द्वारा विधि विरुद्ध समूल का गठन किया गया जिसका सामान्य उद्देश्य बिक्रमसिंह व कल्याण सिंह की हत्या एवं हत्या के प्रयत्न का था और इस दौरान घातक आयुध बंदूक लाठियाँ से सुसज्जित होकर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया?
2. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर या उसके लगभग मृतक कल्याणसिंह की मृत्यु कारित हुई?
3. क्या मृतक कल्याणसिंह की मृत्यु सदोष मानव वध की कोटि का होकर हत्या की श्रेणी का है?
4. क्या आरोपी बदनसिंह और सुरेन्द्र के द्वारा मृतक कल्याणसिंह को साशय या जानबूझकर गोली मारकर उसकी मृत्यु कारित कर हत्या की?
5. क्या आरोपीगण के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए जिसका सामान्य उद्देश्य कल्याणसिंह की मृत्यु कारित करने का था, उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए कल्याणसिंह की साशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर हत्या की गई?
6. क्या आरोपी पूरन उर्फ पुलंदर सिंह तथा अनिलसिंह के द्वारा फरियादी बिक्रम सिंह पर इस आशय या ज्ञान से या ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी हो जाते उसकी हत्या करने का प्रयत्न किया और इस दौरान उसे उपहति कारित की?
7. क्या आरोपीगण के द्वारा फरियादी बिक्रमसिंह की हत्या करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए इस आशय या ज्ञान से

और ऐसी परिस्थितियों में यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपी हत्या के दोषी हो जाते और इस प्रकार सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य कर बिक्रमसिंह को उपहति कारित की?

8. क्या आरोपी योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र ने अपने आधिपत्य में 315 बोर का कट्टा बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा?
9. क्या आरोपी योगेन्द्र सिंह उर्फ जोगेन्द्र के द्वारा अवैध कट्टे का उपयोग प्राणघातक उपहति कारित करने के आशय से किया गया?

### —: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 7:—

08. डॉ० आलोक शर्मा अ०सा० 9 के अनुसार दिनांक 20.11.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में पदस्थ दौरान थाना गोहद के द्वारा लाए जाने पर मृतक कल्याणसिंह पुत्र कोकसिंह निवासी ग्राम निवरौल का शव परीक्षण किया था। शव परीक्षण में उसके शरीर पर निम्न चोटें पाई थी—

- 1— बाईं जॉघ पर फटा हुआ घाँव जिसका आकार  $0.8 \times 0.5$  का था घाँव के किनारे अंदर की तरफ मुड़े थे। घाँव जॉघ में आगे की तरफ था तथा एण्टीवून था।
- 2— बाईं जॉघ में नीचे की तरफ  $1.5 \times 1.5$  से.मी. का फटा हुआ घाँव था जिसके किनारे वाहन की तरफ मुड़े हुए थे। उक्त घाँव एक्जिट वून था।
- 3— गर्दन में बाईं तरफ फटा हुआ घाँव  $0.8 \times 0.8$  से.मी. का था जो कि क्लेरिकल हड्डी के बीच के भाग के ऊपर था। घाँव के किनारे अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। यह घाँव एन्ट्री वून था।
- 4— पीठ में दाईं तरफ बखा के नीचे  $2 \times 2$  से.मी. का फटा हुआ घाँव था जो कि एक्जिट वून था।

### आंतरिक परीक्षण—

परीक्षण में खोपड़ी, शिल्ली तथा मस्तिष्क सावुत था, पर्दा, पसली सावुत थे। मृतक के दाँए फेंफड़े का ऊपर का भाग फटा हुआ था, हृदय के दोनों चैम्बर खाली थे। यकृत, प्लीहा, गुर्दा पेल पीलापन लिए हुए थे। मृतक के शरीर पर मौजूद शर्ट और पैंट जिस पर खून के धब्बे थे सील पेक कर आरक्षक को सौंपे गए थे। उक्त साक्षी के द्वारा अपने अभिमत में

बताया बताया गया है कि मृतक की मृत्यु गर्दन की धमनियों के फटने से तथा शॉक में जाने के कारण हुई थी। मृतक को चोटें अग्नेय शस्त्र के द्वारा पहुँचाई गई थी। उसकी मृत्यु शव परीक्षण के 6 घण्टे के भीतर की थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 28 है जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

09. उक्त साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह भी बताया गया है कि उपरोक्त दिनांक 20.11.2010 को उन्होंने आहत बिक्रमसिंह पुत्र कोकसिंह का चिकित्सीय परीक्षण भी किया था जिसके शरीर पर परीक्षण के दौरान निम्न चोटें पाई गई—

- 1— नाक के ऊपर फटा हुआ घाँव  $1 \times 0.5 \times 0.3$  से.मी. आकार में था जिसके लिए नाक के एक्सरे की सलाह दी थी।
- 2— बाँए गाल पर फटा हुआ घाँव जिसका आकार  $1 \times 0.3 \times 0.2$  से.मी. था।
- 3— दाँए कान के आगे के भाग में फटा हुआ घाँव जिसका आकार  $2 \times 0.2 \times 0.2$  सेमी. था।
- 4— सिर में बाँई तरफ कटा हुआ घाँव जिसका आकार  $4 \times 0.2 \times 0.2$  से.मी. था।
- 5— सिर में दाहिनी तरफ कटा हुआ घाँव जिसका आकार  $6 \times 0.2 \times 0.2$  सेमी. था।
- 6— सिर में पीछे की तरफ फटे हुए घाँव जो कि  $3 \times 0.5 \times 0.2$  तथा  $2 \times 0.5 \times 0.1$  सेमी. आकार में मौजूद थे।

उक्त साक्षी के द्वारा अपने अभिमत में बताया गया है कि आहत बिक्रमसिंह को आई चोट क्रमांक 4 व 5 धारदार वस्तु से तथा शेष चोटें कड़े एवं भौतरी वस्तु से आई थी। चोट क्रमांक 1 का प्रकार एक्सरे के आधार पर निर्धारित किया जा सकता था। शेष चोटें सामान्य प्रकृति की थी जो कि परीक्षण के 6 घण्टे के अंदर की थी। उनके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 25 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. मृतक कल्याणसिंह की मृत्यु हो जाना अभियोजन साक्षी बिक्रमसिंह अ0सा0 2, उम्मेदसिंह अ0सा0 3, मोहकमसिंह अ0सा0 4 तथा सोनू अ0सा0 5 के कथनों से भी होती है जिनके द्वारा कल्याणसिंह को मृत देखा जाना अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है। साक्षी बिक्रमसिंह के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्र.पी. 2 जो कि थाना गोहद में दर्ज कराई गई है तथा कल्याणसिंह की अकाल मृत्यु की सूचना भी थाना गोहद में दर्ज की गई है जो कि प्रधान आरक्षक रामप्रतापसिंह अ0सा0 7 ने प्र.पी. 8 की मार्ग रिपोर्ट उनके द्वारा लेखबद्ध करना बताया

गया है। इस प्रकार कल्याणसिंह मृत्यु हो जाना उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित है।

11. मृतक कल्याण सिंह की मृत्यु की प्रकृति का जहाँ तक प्रश्न है इस संबंध में अभियोजन साक्षी घटना के फरियादी बिक्रमसिंह अ0सा0 2, उम्मेदसिंह अ0सा0 3, मोहकम सिंह अ0सा0 4, सोनू अ0सा0 5 के कथनों में स्पष्ट रूप से यह आया है कि मृतक कल्याण सिंह की मृत्यु उसे गोली लगने के कारण हुई थी। इस संबंध में मृतक कल्याण सिंह की मृत्यु के उपरांत लाश का नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया है जो कि लाश पंचायतनामा प्र0पी0 4 तैयार करना तत्कालीन थाना प्रभारी उमेशसिंह तोमर अ0सा0 11 के द्वारा तैयार किया गया है जो कि साक्षी उम्मेदसिंह अ0सा0 3 और सोनू सिंह अ0सा0 5 के द्वारा भी पुष्ट किया गया है। उक्त नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 4 में कल्याण की मृत्यु गोली लगने से होना पंचों की राय में बताया गया है। इस बिन्दु पर डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 9 के कथन में भी मृतक कल्याण सिंह की मृत्यु गर्दन की धमनियों के फटने तथा शॉक में जाने के कारण होना बताई गई है जो कि अग्नेय शस्त्र से चोटें पहुँचाई जाने से उसकी मृत्यु होनी बताई गई है। ऐसी दशा में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में मृतक कल्याणसिंह की मृत्यु सदोष मानव वध की कोटि का होना प्रमाणित है। आहत बिक्रमसिंह को भी शरीर में उपरोक्त बताए अनुसार चोटें मौजूद होना भी चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 9 के साक्ष्य कथन में स्पष्ट रूप से आया है।

12. अभियोजन प्रकरण के संबंध में अब विचारणीय यह हो जाता है कि— क्या घटना दिनांक घटना समय व स्थान पर आरोपीगण के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया गया और उस जमाव के सदस्य रहते हुए घातक आयुध से सुज्जित होकर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया गया? क्या आरोपीगण के द्वारा कल्याण सिंह की हत्या कारित करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित कर उसके अग्रसरण में कार्य कर उसकी हत्या की गई? क्या किसी आरोपी या आरोपीगण के द्वारा बिक्रमसिंह की हत्या करने का प्रयत्न किया गया? क्या आरोपीगण के द्वारा बिक्रमसिंह की हत्या करने के प्रयत्न हेतु सामान्य उद्देश्य निर्मित कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए हत्या का प्रयत्न किया गया?

13. सर्वप्रथम घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 जो कि घटना दिनांक 20.11.2010 को 08:35 बजे थाना गोहद में दर्ज कराई गई है। घटना स्थल ग्राम निवरौल से थाना की दूरी 15 किलो मीटर होनी बताई गई है और घटना प्रातः 07:30 बजे की होनी बताई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 थाने पर दर्ज करना घटना के फरियादी बिक्रम सिंह अ0सा0 2 के द्वारा प्रमाणित किया गया है तथा उक्त रिपोर्ट प्र.पी. 2 के लेखक उमेशसिंह तोमर अ0सा0 11 तत्कालीन थाना प्रभारी थाना गोहद के द्वारा भी प्रथम सूचना रिपोर्ट



फरियादी बिक्रमसिंह के द्वारा दर्ज कराई जानी और रिपोर्ट प्र0पी0 2 उनके द्वारा लेखबद्ध करना जिस पर कि बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना बताया गया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से सभी आरोपीगण घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद होना और घटना कारित किया जाना उल्लेखित है तथा घटना के समय घटना स्थल पर गवाह उम्मेद सिंह, मोहकम सिंह व अन्य के आ जाने का उल्लेख भी है।

14. अभियोजन की ओर से घटना के संबंध में घटना के रिपोर्टकर्ता एवं चक्षुदर्शी/आहत बताए गए साक्षी बिक्रमसिंह अ0सा0 2 ने अपने साक्ष्य कथन में आरोपीगण को पहिचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि मृतक कल्याण सिंह उसका छोटा भाई था। दिनांक 20.11.2010 को वह और उसका छोटा भाई कल्याण सिंह अपने घर पर गोबर डाल रहे थे। कल्याण गोबर डालने के लिए निकला और वह पानी के वर्तन अंदर डालकर बाहर आया, सुबह 07:30 का समय था उसने देखा कि कप्तान सिंह के घर के बाहर उसका भाई कल्याण सिंह जो कि गोबर डालने जा रहा था, वहाँ सभी आठों आरोपीगण ने उसके भाई को इकट्ठे होकर घेर लिया। आरोपीगण उसके भाई की लात-घूसों से मारपीट कर रहे थे, जब वह दौड़कर कप्तान सिंह के घर के पास पहुँचा तो आरोपीगण ने उस पर भी हमला कर दिया और उसके साथ भी मारपीट करनी शुरू कर दी।

15. साक्षी के द्वारा अपने कथन में आगे यह भी बताया गया है कि घटना के समय आरोपी अनिल, नारायणसिंह, निरंजन सिंह लाठी लिए हुए, पुलंदर सिंह कुल्हाड़ी लिए हुए, योगेन्द्र सिंह कट्टा लिए हुए, अशोक सिंह 12 बोर की दुनाली बंदूक लिए हुए, सुरेन्द्र सिंह और बदनसिंह माउजर लिए हुए आए। आरोपीगण ने उसकी भी मारपीट की और कल्याण सिंह के साथ भी मारपीट की गई। आरोपी अनिल, नारायणसिंह, निरंजन व पुलंदर उसे खींचकर ले जा रहे थे। उसने आवाज लगाई तो गवाह मोहकम सिंह, सोनू व उम्मेद आ गए थे। साक्षी ने यह भी बताया है कि पुलंदर के गौंडा के पास पुलंदर सिंह ने उसे कुल्हाड़ी मारी थी जो उसके सिर में लगी थी। सिर में तीन जगह कुल्हाड़ी की चोट लगी थी। आरोपी अनिल सिंह ने उसे लाठी मारी जो उसकी नाक में लगी थी और नारायण सिंह ने भी उसके गाल में लाठी मारी थी। इसी दौरान उसका भाई आरोपीगण से छूट गया था तो आरोपी बदनसिंह और सुरेन्द्र सिंह ने आवाज लगाई कि गोली से मार दो तथा दोनों को गोली मार दो। वह आरोपीगण के बीच में था इस कारण उसे गोली नहीं लग पाई। कल्याणसिंह जो कि छूटकर अलग हो गया था उसे आरोपीगण ने गोली मारी थी। जो गोली बदनसिंह ने मारी थी वह कल्याणसिंह के बाईं जाँघ में लगी थी, दूसरी गोली सुरेन्द्र सिंह ने कल्याण सिंह को मारी थी वह कल्याण सिंह को गर्दन में लगी थी। उसका भाई कल्याण गोली लगने से जमीन पर

गिर पड़ा था। आरोपीगण यह देखकर कि कल्याणसिंह को गोली लग गई है वह इकट्ठे होकर घटना स्थल से अपने घर की तरफ चल दिए। फिर बगल के दरवाजे से टैक्टर लाए और कल्याणसिंह को ट्राली में डालकर वह और उम्मेदसिंह गोहद आए। उसका भाई कल्याण सिंह थाने आने से पहले ही खत्म हो गया था। उसने थाने पर रिपोर्ट लिखाई जो प्र.पी. 2 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फिर उसे अस्पताल लाया गया एवं उसके भाई मृतक कल्याणसिंह को भी अस्पताल लाया गया था। उसे काफी चोट थी इस कारण गोहद अस्पताल में भर्ती रहा था। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी।

16. घटना के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी उम्मेद सिंह अ0सा0 3 के द्वारा भी फरियादी बिक्रमसिंह के द्वारा किए गए उपरोक्त कथन का समर्थन करते हुए अपने साक्ष्य कथन में आरोपीगण को पहिचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि घटना दिनांक को 07:30 बजे वह कुँआ पर पानी भर रहा था, कल्याण सिंह गोबर डाल रहा था। इस दौरान सभी आठों आरोपीगण घटना स्थल पर आए और उनके द्वारा घटना की गई। जब कल्याणसिंह कप्तान सिंह के घर के सामने पहुँचा तो पुलंदर सिंह कुल्हाड़ी, अनिल सिंह, नारायणसिंह और निरंजन लाठी लिए हुए, योगेन्द्रसिंह कट्टा लिए हुए तथा सुरेन्द्र और बदनसिंह माउजर लिए हुए और अशोक सिंह 12 बोर की बंदूक लिए हुए आए थे। उक्त आरोपीगण कल्याण सिंह को खींचने लगे और उसकी मारपीट करने लगे। कल्याण सिंह का भाई बिक्रम सिंह बचाव करने आया तो उसके साथ भी आरोपीगण ने कुल्हाड़ी और लाठियों से मारपीट की। उक्त मारपीट में बिक्रम सिंह को सिर व नाक में चोट लगकर खून निकल रहा था। आरोपीगण कल्याण सिंह और बिक्रमसिंह को खींचने लगे और पुलंदरसिंह के गौंडे के पास ले गए। फिर आरोपीगण ने फाइरिंग शुरू कर दी। योगेन्द्र सिंह के पास कट्टा था तथा सुरेन्द्र सिंह और बदनसिंह के पास माउजर बंदूक थी तथा अशोकसिंह के पास 12 बोर की दुनाली बंदूक थी उसने फायरिंग शुरू कर दी। आरोपीगण एक राय होकर मारपीट कर रहे थे और इसी दौरान गोली चलाई थी। कल्याण सिंह को पहले गोली जाँघ में लगी थी और दूसरी गोली गर्दन में लगी थी फिर वह चिल्लाया तो आरोपीगण घटना स्थल से भाग गए। बिक्रमसिंह खून से लथपथ थे। कल्याणसिंह जो कि गिर पड़ा था उनाके उठाकर और बिक्रमसिंह को लेकर थाना गोहद आए थे। कल्याण सिंह की मृत्यु हो गई थी। थाने से उक्त लोगों को अस्पताल भेजा गया था। पुलिस ने मृतक कल्याण सिंह के शव का सफीनाफार्म जारी किया था जो कि प्र.पी. 3 है और लाश पंचायतनामा प्र.पी. 4 तैयार किया था और लाश सुपुर्दगी पर मिली थी जो सुपुर्दगीनामा प्र.पी 5 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

17. घटना के संबंध में अभियोजन की ओर से अन्य चक्षुदर्शी बताए गए साक्षी

मोहकम सिंह अ0सा0 4 के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण का समर्थन करते हुए बताया है कि घटना दिनांक को सुबह वह पानी भरने के लिए जा रहा था बिक्रम सिंह के चिल्लाने की आवाज आई थी बचाओ-बचाओ वह दौड़कर गया तो उसने देखा कि पुलंदर सिंह कुल्हाड़ी लिए हुए, अनिल सिंह लाठी, जोगेन्द्र सिंह कट्टा, सुरेन्द्र सिंह उर्फ रायसिंह माउजर बंदूक, बदनसिंह माउजर बंदूक, नारायण सिंह लाठी, निरंजन सिंह लाठी, अशोक सिंह 12 बोर की दुनाली बंदूक लिए हुए एकराय होकर आए और बोले कि इसे जान से मार दो। पुलंदर सिंह कुल्हाड़ी से और अनिल सिंह लाठी से बिक्रम सिंह की मारपीट करने लगे। आरोपीगण एकराय होकर कप्तान सिंह के दरवाजे के सामने से पुलंदरसिंह के गौड़े की तरफ उसे पकड़ कर ले गए। कल्याण सिंह ने छटपटाकर भागने की कोशिश की तो आरोपीगण कट्टे एवं बंदूकों से फायर करने लगे। कल्याण सिंह को दो गोली लगी। पहली गोली लगने पर कल्याणसिंह एकदम नबने (झुकने) लगा तो दूसरी गोली उसे गर्दन में मारी। पहली गोली बदनसिंह ने मारी थी जो जॉघ में लगी थी और दूसरी गोली सुरेन्द्र सिंह ने मारी थी जो कि उसकी गर्दन में लगी थी। बिक्रम सिंह घायल अवस्था में था उसे पूरन सिंह व अनिल सिंह मार रहे थे। गोली लगने से कल्याण सिंह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा था। घटना के बाद आरोपीगण घटना स्थल से चले गए थे। पुलिस घटना स्थल पर आई थी और घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्र.पी. 5 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना स्थल से कारतूस एवं सादी मिट्टी व खून आलूदा मिट्टी की जप्ती कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 6 तैयार किया गया था जिस पर कि उनके हस्ताक्षर हैं। सोनू की एक शर्ट जिसमें छेद था जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 7 बनाया था।

18. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी सोनू सिंह अ0सा0 5 भी अपने साक्ष्य कथन में घटना दिनांक 20.11.2010 को सुबह 07:30 बजे अपने दरवाजे पर कुल्ला करना और उसी दौरान चिल्लाने की आवाज सुनकर देखना और देखने पर कप्तान सिंह के घर की तरफ झगडा हो रहा है और बिक्रमसिंह चिल्ला रहे थे कि बचाओ-बचाओ। उसने देखा कि सुरेन्द्र सिंह, बदनसिंह माउजर बंदूक, अशोक सिंह 12 बोर की दुनाली बंदूक, जोगेन्द्र सिंह कट्टा, पुलंदर सिंह कुल्हाड़ी, नारायण सिंह लाठी, अनिल सिंह लाठी सभी लोग एकराय होकर कल्याण सिंह की मारपीट कर रहे थे और मारपीट कर पुलंदर के गौड़े के तरफ ले गए। बिक्रमसिंह को अनिल ने लाठी और पुलंदरसिंह ने कुल्हाड़ी मारी जो कि बिक्रमसिंह के सिर में कुल्हाड़ी लगी थी। कल्याणसिंह ने बिक्रमसिंह को पिटते हुए देखा तो कल्याण छूटकर अलग हो गया तब आरोपीगण ने कहा कि इसे मार दो तो बदनसिंह ने माउजर की गोली से मारा जो कि उसकी डेरी जॉघ में लगी। कल्याण सिंह झुका तो सुरेन्द्र सिंह ने उसे गोली मारी जो

कि कल्याण सिंह को गले में लगी और कमर के दाहिने तरफ से निकल गई। अशोक सिंह ने फायर किया जो कि उसके दाहिने तरफ छाती में लगा। आरोपीगण मारपीट कर घटना स्थल से भाग गए। मोहकम सिंह ने उसे पूछा कि तुम्हारे क्या लगा है तो उसने बताया कि छर्चा लग गया है फिर वह उनके साथ मोटरसाइकिल पर गोहद थाने गया था, उसके पहुँचने तक बिक्रमसिंह के द्वारा रिपोर्ट लिखाई जा चुकी थी। थाने वालों ने कहा था कि रिपोर्ट लिख चुकी है अपना मेडीकल कराओ फिर उसका मेडीकल परीक्षण हुआ था। उसकी शर्ट जिस पर गोली का छर्चा लगा था उसकी जप्ती पुलिस के द्वारा की गई थी जो जप्ती पत्रक प्र.पी. 7 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मृतक कल्याण सिंह की मृत्यु के संबंध में सफीना फार्म जारी किया था और लाश पंचायतनामा बनाया था जो प्र.पी. 3 और 4 है।

19. अभियोजन साक्षी रामप्रताप सिंह जो कि प्र0आर0 के रूप में थाना गोहद में पदस्थ था जहाँ कि फरियादी बिक्रमसिंह के सूचना के आधार पर अकाल मृत्यु सूचना प्र.पी. 8 की लेखबद्ध किया जाना बताया है जिस पर उनके हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। मृतक कल्याण सिंह की शील बंद पोटली में खून लगे हुए कपड़ों और शील नमूना जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 9 तैयार करना बताया है। पोटली की जप्ती का समर्थन आरक्षक नवलकिशोर अ0सा0 10 के कथन से भी हुआ है।

20. उमेश सिंह तोमर अ0सा0 11 तत्कालीन थाना प्रभारी थाना गोहद जिनके द्वारा दिनांक 20.11.2010 को थाना गोहद में पदस्थ दौरान फरियादी बिक्रम सिंह के बताए अनुसार घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करनी बताई गई है जो कि अपराध क्रमांक 252/10 धारा 302, 307, 147, 148, 149 भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध कर प्र.पी. 2 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। साक्षी के द्वारा मृतक कल्याण सिंह जिसका शव थाना परिसर में टैक्टर में था मौके पर उपस्थिति साक्षियों के समक्ष सफीना फार्म जारी करना और मृतक का लाश पंचायतनामा तैयार करना बताया है जो कि प्र.पी. 3, 4 के सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना उनके द्वारा बताया गया है। मृतक कल्याण सिंह के शव को शव परीक्षण हेतु सफीना फार्म प्र.पी. 28 भरकर गोहद अस्पताल भेजा था। घटना के चक्षुदर्शी साक्षी मोहकमसिंह की निशानदेही पर घटना का नक्शा मौका प्र.पी. 5 तैयार किया जाना जिस पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना उनके द्वारा बताया गया है। घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी और 315 बोर के तीन खोखे, एक खोखा 12 बोर का, एक सौल हल्की कथई रंग का जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 6 तैयार किया गया था। इसके अतिरिक्त विवेचना के दौरान साक्षी सोनू, कोकसिंह और फरियादी बिक्रम सिंह के कथन लेखबद्ध करना भी उनके द्वारा बताया गया है। दिनांक 12.12.2010 को आरोपी निरंजन व आरोपी नारायणसिंह को

गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 29 और 30 तैयार करना। उक्त आरोपीगण से पूछताछ कर आरोपी नारायणसिंह से उसके मेमोरेडम कथन प्र.पी. 10 के आधार पर एक लाठी की जप्ती प्र.पी. 21 के अनुसार करना तथा आरोपी निरंजन के मेमोरेडम कथन प्र.पी. 11 के आधार पर एक लाठी की जप्ती प्र.पी. 20 के अनुसार करना बताया है। दिनांक 29.12.10 को आरोपी जोगेन्द्र उर्फ पप्पू एवं अनिल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 31 और 32 तैयार करना। आरोपी जोगेन्द्र के मेमोरेडम कथन प्र.पी. 12 के आधार पर एक कट्टा की जप्ती करना और जप्ती पंचनामा प्र.पी. 18 तैयार करना जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। आरोपी अनिल के मेमोरेडम कथन प्र.पी. 13 के आधार पर एक लाठी की जप्ती प्र.पी. 19 के अनुसार किया जाना उनके द्वारा बताया गया है। दिनांक 02.02.2011 को आरोपी अशोक सिंह और पूरन उर्फ पुलंदर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 33 और 34 तैयार करना तथा उनसे पूछताछ करना और पूछताछ के दौरान आरोपी अशोक के मेमोरेडम कथन प्र.पी. 14 के आधार पर एक 12 बोर दुनाली बंदूक पेश करने पर जप्त किया था और जप्ती पत्रक प्र.पी. 16 तैयार किया था। आरोपी पूरन उर्फ पुलंदर से साक्षियों के समक्ष पूछताछ की गई थी और मेमोरेडम कथन प्र.पी. 15 तैयार किया था उसके आधार पर उससे एक लोहे की कुल्हाड़ी प्र.पी. 17 के अनुसार जप्त किया जाना बताया है। दिनांक 04.03.2011 को गवाह सोनू के पेश करने पर एक शर्ट नीली सफेद रंग की जिसमें छेद था जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 3 तैयार किया था। आरोपी सुरेन्द्र सिंह और बदनसिंह घटना दिनांक से फरार थे उनके फरारी में चालान कता कर शेष आरोपीगण के विरुद्ध चालान पेश किया गया। दिनांक 17.03.11 को आरोपी बदनसिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 22 तैयार किया गया। आरोपी बदनसिंह के मेमोरेडम कथन के आधार 315 बोर की बंदूक एवं लाइसेंस की फोटोकॉपी की जप्ती उसके पेश करने पर की गई थी जो कि मेमोरेडम कथन प्र. पी. 23 और जप्ती पत्रक प्र.पी. 24 है। दिनांक 21.03.2011 को आरोपी सुरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 35 बनाया था। आरोपी सुरेन्द्र सिंह जो कि 315 बोर की रायफल रखे हुए था, वह रायफल उसके स्वयं की लाइसेंसी होना बताया था। उक्त बंदूक की जप्ती कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 36 तैयार किया गया था। जप्तशुदा वस्तुएं जाँच हेतु न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गयी थी।

21. योगेन्द्रसिंह कुशवाह अ0सा0 1 जो कि आर्म्स क्लर्क के द्वारा आरोपी योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र से जप्तशुदा बताए गए अग्नये शस्त्र के संबंध में अभियोजन स्वीकृति जो कि तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्री रघुराज राजेन्द्रन के द्वारा अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में प्र.पी. 1 का आदेश तत्काली जिला दण्डाधिकारी के

निर्देश पर टंकित कराना और उस पर ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर होना तथा बी से बी भाग पर अपने लघु हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है।

22. अभियोजन के द्वारा घटना के उपरांत जप्तशुदा वस्तुओं जिनमें मृतक व घायल के कपड़े व आरोपीगण से जप्त हथियारों का परीक्षण राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला से कराया गया है जिस संबंध में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.सी.1 और प्र. सी. 2 एवं प्र.सी. 3 अभियोजन की ओर से पेश की गई है।

23. बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्षी रविन्द्र सिंह व0सा0 1 आरोपी सुरेन्द्र सिंह के टेकनपुर में घटना दिनांक को उपस्थिति होने बावत् बताया है। साक्षी जहेन्द्र सिंह व0सा0 2, डॉ0 ए.के.सक्सैना व0सा0 5 तथा प्रदीप सिंह ब.सा. 6 आरोपी अशोकसिंह के पेर में फ्रेक्चर होने से ग्वालियर इलाज हेतु घटना दिनांक को रहना और उसके साथ आरोपी बदनसिंह भी साथ में रहना बताया है। अन्य बचाव साक्षी अरविंद सिंह ब.सा. 3 और मानसिंह ब.सा. 4 के द्वारा यह बताया गया है कि ग्राम चितौरा के तालाब के पास सुबह पांच-साढ़े पांच बजे कल्याणसिंह की हत्या हुई थी तथा बिक्रमसिंह घायल होकर वेहोश हो गया था।

24. अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त समग्र साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में जो कि साक्षियों के प्रतिपरीक्षण उपरांत हुए कथन पर विचार करते हुए साक्षियों की विश्वसनियता एवं उनके साक्ष्यमूल्य पर विचार किया जाना उचित होगा।

25. सर्वप्रथम घटना के फरियादी/सूचनाकर्ता बिक्रमसिंह अ0सा0 2 जो कि घटना का आहत भी है। उक्त साक्षी के द्वारा घटना दिनांक को घटना स्थल पर सभी आरोपीगण के मौजूद होने और इस दौरान उनके द्वारा घटना कारित करते हुए उसके भाई मृतक कल्याणसिंह और उसके साथ मारपीट करने तथा कल्याणसिंह को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाने के बारे में बताया है। उक्त साक्षी के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण कंडिका 17 में साक्षी के द्वारा बताया गया है कि घटना दिनांक को उसका भाई कल्याणसिंह तसले में गोबर भरकर डालने का काम कर रहा था। साक्ष्य में यह स्पष्ट आया है कि उनके पास भैंसे थी, निश्चित रूप से फरियादी एवं उसके भाई कल्याणसिंह के पास भैंसे भी जिनका कि गोबर डालने का समय प्रातः ही होता है। ऐसी दशा में यदि घटना के समय मृतक कल्याणसिंह गोबर डालने का काम कर रहा था तो यह अस्वभाविक नहीं कहा जा सकता।

26. प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बात भी आई है कि कल्याणसिंह की पहले लातघूसों से मारपीट होते हुए उसने देखा था। जिस समय कल्याणसिंह की लातघूसों से मारपीट हो

रही थी, उस समय मारपीट करने वालों के पास हथियार थे, वह खाली हाथ नहीं थे। मारपीट कप्तानसिंह के घर के बाहर रास्ते में हो रही थी। कप्तानसिंह के घर के सामने मारपीट करने वालों ने कल्याणसिंह को लाठी, कुल्हाड़ी एवं बंदूक से चोट नहीं पहुँचाई थी, पूरी घटना में कल्याणसिंह को लाठी और कुल्हाड़ी से चोटें नहीं पहुँचाई थी, उसे केवल बंदूक की गोली लगी थी। घटना के दौरान उसने तीन लोगों के पास बंदूक देखी थी। कल्याणसिंह को बंदूक की दो गोली की चोट लगी थी। पूरे घटनाक्रम में चार फायर की आवाजें उसने सुनी थी। कंडिका 18 में बताया है कि जब उसके भाई कल्याणसिंह को जॉघ में गोली लगी थी तब गोली मारने वाला व्यक्ति पास में मौजूद कुँए के किनारे पर खड़ा था। जॉघ में गोली लगने से भाई गिरा नहीं था, उसके भाई कल्याणसिंह को दूसरी गोली गर्दन में लगी थी। गर्दन में जो गोली लगी थी गोली मारने वाला व्यक्ति 12 फिट के दूरी पर था। गोली मारने वाला व्यक्ति उसी धरातल पर खड़ा था जहाँ उसका भाई कल्याणसिंह खड़ा था। स्वतः में साक्षी के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उसके भाई को गोली लगने से वह नीचे झुक गया था तब दूसरी गोली गले में मारी गई थी। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि मृतक कल्याणसिंह को दो गोलियाँ लगी हैं। एक गोली उसके जॉघ में तथा दूसरी गोली गले लगी है जो कि कमरे से निकली है जैसा कि इस संबंध में चिकित्सीय साक्ष्य से भी स्पष्ट है। कल्याणसिंह को गर्दन में लगी हुई गोली उसके पेर में गोली लगने पर उसके झुके होने की दशा में लगी है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि झुकी हुई अवस्था में कोई गोली लगे तो वह ऊँचाई से गोली चलने जैसे ही चोट कारित करेगा। ऐसी दशा में मात्र इस आधार पर कि गोली मारने वाला और मृतक एक ही धरातल पर खड़े थे मृतक कल्याणसिंह को गले में आई चोट जो कि कमरे से निकली है वह उसके पेर में गोली लगने के पश्चात् उसकी जो स्थिति रही होगी उस स्थिति में आना संभव है।

27. आहत साक्षी बिक्रमसिंह अ0सा0 2 के द्वारा अपनी चोटों के संबंध में तीन चोट सिर में और एक चोट नाक में, एक चोट गले में तथा और भी चोटें उसे आना बताया है। सबसे पहले कुल्हाड़ी से चोट लगी थी जो कि सिर के पीछे बगल में लगी थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि सिर की पहली चोट लगते ही उसकी आँखों में वेहोशी छा गई थी। उसे शरीर में जो चोटें लगी थी वह उसके खड़े हालत में लगी थी वह जमीन पर नहीं गिरा था। घटना स्थल पर साक्षी सोनू, उम्मेदसिंह और मोहकम सिंह मौजूद थे। थाना पहुँचने में करीब पौन घण्टे का समय लगा था और लगभग 08:30 बजे करीब थाना गोहद पहुँच गये थे। कंडिका 21 में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि गाँव में पार्टीबंदी के बजह से आरोपीगण के विरुद्ध झूठा मामला दर्ज कराया है और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि

घटना सुबह 07:30 बजे घटित न होते हुए सुबह 04:30 बजे जब वह तथा उसका भाई कल्याणसिंह लेट्रिंग करने के लिए जा रहे थे तब रास्ते में अज्ञात बदमाशों के द्वारा कारित की गई और घटना कारित करने की कहानी मोहकमसिंह के द्वारा तैयार की गई। कंडिका 29 में साक्षी के द्वारा बताया गया है कि आरोपी अशोक मकान के पास था और पुलंदर के मकान के पास से अशोकसिंह ने एक फायर किया था। कंडिका 30 में इस सुझाव से इंकार किया है कि अशोक सिंह घटना स्थल पर नहीं था और वह ग्वालियर में भर्ती होकर पेर का इलाज करा रहा था और उसे प्लास्टर चढ़ा हुआ था। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि मोहकमसिंह से मिलकर आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाई है और उन्हें झूठा फंसाया है।

28. यद्यपि साक्षी के प्रतिपरीक्षण के दौरान कुछ बिन्दुओं पर उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट व पुलिस को दिए गए कथन में विरोधाभाष व इम्प्रूवमेंट आना दर्शित होता है। जैसा कि साक्षी के कथन के प्रतिपरीक्षण कंडिका 20 में आया है। साक्षी के द्वारा रिपोर्ट प्र.पी. 2 में बी से बी भाग की बात “मेरे सिर.....लोग आ गए” की बात रिपोर्ट में न लिखाना बताया है। इसी प्रकार कंडिका 26 में कल्याणसिंह के एक गोली पीठ में लगने के संबंध में भी प्र.डी. 1 के ए से ए भाग की बात पुलिस को न बताना साक्षी ने अभिकथित किया है। निश्चित तौर से प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल घटना के संबंध में एक सूचना होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाते समय यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि उस समय सभी बातों का समावेश कराया जाए। ऐसी दशा में मात्र इस आधार पर कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुछ तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है तो उक्त तथ्य के आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण एवं वर्तमान फरियादी की विश्वसनियता संदेहास्पद नहीं मानी जा सकती। साक्षी बिक्रमसिंह के प्रतिपरीक्षण उपरांत उक्त साक्षी के कथनों में कोई भी तात्विक या गंभीर प्रकार का विरोधाभाष अथवा विसंगति या लोप आना दर्शित नहीं होता है जिससे कि साक्षी की विश्वसनियता प्रभावित होती हो। साक्षी के कथनों में आया हुआ विरोधाभाष एवं बिसंगतियाँ स्वभाविक हैं। घटना घटित हुए अंतराल एवं साक्षी के मानसिक अवस्था तथा स्मरण की विचार शक्ति देखते हुए यदि इस प्रकार की बिसंगतियाँ हैं भी हैं तो उससे साक्षी की विश्वसनियता प्रभावित नहीं होती।

29. उक्त साक्षी जो कि घटना का आहत साक्षी भी और उसके द्वारा स्पष्ट रूप से घटना में उसे भी चोटें आने के संबंध में बताया गया है जो कि उसकी चोटों की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर भी है। ऐसी दशा में जब कि उक्त साक्षी की घटना स्थल पर मौजूदगी एवं उसका घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना प्रमाणित है। उक्त साक्षी के द्वारा आरोपीगण को किसी रंजिश के कारण घटना में लिप्त किया जा रहा हो अथवा गाँव की



पार्टीबंदी के कारण किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर आरोपीगण को फंसाने के उद्देश्य से घटना में लिप्त किया गया हो ऐसा भी मानने का कोई आधार या कारण नहीं है।

30. अभियोजन के द्वारा घटना के संबंध में घटना के अन्य बताए जा गए चक्षुदर्शी साक्षी उम्मेदसिंह अ0सा0 2 के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके साक्ष्य कथन का जहाँ तक प्रश्न है। उक्त साक्षी जो कि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होने के अलावा घटना के पश्चात् फरियादी बिक्रमसिंह को टैक्टर में बिठाकर तथा कल्याणसिंह को टैक्टर में डालकर थाना गोहद ले गया था। प्रतिपरीक्षण कंडिका 11 में उक्त साक्षी ने बताया है कि घटना के बाद कल्याणसिंह को घटना स्थल से उसने व बिक्रम सिंह ने उठाकर ट्राली में रखा था। कंडिका 9 में साक्षी के द्वारा यह बताया है कि बिक्रम सिंह जब थाना गोहद पहुँचा तब वह वेहोश नहीं हुआ था। थाना गोहद से बिक्रमसिंह व कल्याण सिंह को पुलिस वाले अस्पताल ले गए थे। इस बात को भी स्वीकार किया है कि पोस्टमार्टम के बाद उसी टैक्टर ट्राली से कल्याणसिंह के शव को लेकर ग्राम निवरौल गया था। कंडिका 12 में इस सुझाव से इंकार किया है कि वह मोहकमसिंह की पार्टी का सदस्य है और उनका प्रचार करता है तथा उन्हीं के कहने पर मामले में गवाह बना है। इसी कंडिका में इस बात से इंकार किया है कि उसके सामने ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी कि जैसी घटना वह घटित होना बता रहा है और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि कल्याणसिंह को गोली दिन के 07-07:30 बजे न लगते हुए सुबह 04-04:30 बजे के करीब लगी थी और घटना सुबह के समय घटित हुई थी तथा इस सुझाव से भी इंकार किया है कि वह घटना दिनांक को थाना गोहद नहीं था एवं प्र.पी. 3, 4 एवं 5 पर उसने दो दिन बाद हस्ताक्षर किए थे। साक्षी के द्वारा इस सुझाव से इंकार किया गया है कि कल्याणसिंह के मर जाने के बाद मोहकमसिंह ने यह योजना तैयार की थी कि कल्याण सिंह तो मर गए हैं अच्छा मौका है और उनके कत्ल के मामले में विरोधी पार्टी सुरेन्द्र सिंह और उसके परिवार के लोगों को फसा दिया जाए और मोहकमसिंह के संबंधी लोगों को मामले में गवाह बना दिया जाए और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि मोहकमसिंह के दबाव में आरोपीगण के विरुद्ध गवाह बनकर असत्य कथन कर रहा है और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने कोई घटना घटित नहीं की। कंडिका 13 में साक्षी के द्वारा बताया गया है कि जब कल्याणसिंह गोबर डालने के लिए जा रहे थे तो कप्तानसिंह के दरवाजे पर झगडा चालू हो गया था, कुँए पर वह अकेला पानी भर रहा था।

31. उक्त साक्षी उम्मेदसिंह जो कि ग्राम निवरौल का ही रहने वाला है और घटना दिनांक 20.11.10 को वह घटना के समय सुबह 07:30 बजे कुँए पर पानी भरने का काम करना बता रहा है और इस दौरान घटना घटित होने पर उसके द्वारा घटना देखी गई है। निश्चित

तौर से सुबह के समय गाँव वाले पानी भरने आदि का काम करते हैं और इस संबंध में उसके द्वारा किया गया कथन स्वभाविक लगता है। साक्षी की समग्र साक्ष्य उपरांत घटना स्थल पर उसकी घटना के समय मौजूदगी का तथ्य असंदिग्ध है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी के द्वारा घटना घटित होने के उपरांत फरियादी बिक्रमसिंह आहत कल्याणसिंह को टैक्टर में रखकर थाना गोहद लाया गया था। कल्याणसिंह जिनकी कि मृत्यु हो गई थी उसकी मृत्यु के संबंध में पुलिस थाना गोहद में सफीना फार्म प्र.पी. 3 जारी किया गया और नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0 4 उसके समक्ष बनाया गया था और कल्याणसिंह की लाश सुपुर्दगी में ली गई थी जो सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 5 है। उक्त दस्तावेज जो कि घटना दिनांक को ही घटना के कुछ समय के अंतराल में बनाया गया था है जैसा कि इस संबंध में विवेचना अधिकारी उमेश सिंह तोमर अ0सा0 11 के कथन से भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है।

32. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्षी उम्मेदसिंह के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में छोटे मोटे विरोधाभाष बिसंगति और लोप को छोड़कर उसके कथन में कोई भी तात्त्विक प्रकार का विरोधाभाष, बिसंगति अथवा लोप होना दर्शित नहीं होता है जिससे कि उक्त साक्षी की विश्वसनीयता प्रभावित होती हो। उक्त साक्षी उम्मेदसिंह के द्वारा फरियादी पक्ष से हितबद्ध होकर के अथवा आरोपी पक्ष से किसी रंजिश के कारण अथवा गाँव में किसी पार्टीबंदी के कारण हत्या एवं हत्या के प्रयत्न जैसे अपराध में आरोपीगण को लिप्त कर रहा हो और उनके विरुद्ध साक्ष्य दे रहा हो ऐसा भी मानने का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार वर्तमान साक्षी उम्मेद सिंह अ0सा0 3 के कथन के आधार पर भी फरियादी बिक्रमसिंह के द्वारा किया गया कथन एवं अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होनी पाई जाती है।

33. अभियोजन की ओर से घटना के संबंध में प्रस्तुत अन्य चक्षुदर्शी बताए गए साक्षी मोहकमसिंह अ0सा0 4 के प्रतिपरीक्षण उपरांत आए हुए कथनों का जहाँ तक प्रश्न है। उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपी सुरेन्द्र सिंह उसके विरुद्ध सरपंच व अन्य चुनाव लड़ा था तथा इस बात को भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा आरोपी सुरेन्द्र के मध्य पिछले 25 वर्षों से आपस में एक दूसरे के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट और मुकद्दमेवाजी चल रही है। इस संबंध में साक्षी के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरोपीगण से उनके बीच में राजीनामा भी हुआ था। इस संबंध में यदि यह मान भी लिया जाए कि वर्तमान साक्षी का आरोपीगण से गाँव पंचायत चुनाव को लेकर आपस में रंजिश और विवाद चल रहा था, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षी के साथ आरोपीगण की पूर्व से मुकद्दमेवाजी आदि चल रही है यह मानने का कोई आधार नहीं है कि उक्त साक्षी आरोपीगण को हत्या एवं हत्या के प्रयत्न जैसे अपराध में झूठा लिप्त कराने में हितबद्ध हो।

34. उक्त साक्षी जो कि घटना दिनांक को सुबह के समय पानी भरने के लिए जा रहा था और फरियादी बिक्रमसिंह की आवाज सुनकर घटना स्थल पर जाना और उसके द्वारा घटना घटित होते हुए देखना बताया है। प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि गाँव में कप्तानसिंह के घर के पास कुँआ है जो कि सागर वाले कुँए के नाम से जाना जाता है, उसका पानी मीठा है और उसके घर के पास पंचायती भवन में जो कुँआ है उसका पानी खारा है। निश्चित तौर से यदि मीठे पानी वाले कुँए पर सुबह के समय पानी भरने के लिए उक्त साक्षी जा रहा था तो यह अस्वभाविक नहीं कहा जा सकता, बल्कि स्वभाविक रूप से लोग मीठे पानी के कुँए से पीने के लिए पानी भरते हैं। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से साफ तौर से इंकार किया है कि सागर वाले कुँए पर पानी भरने की बात वह सिखाने पर बता रहा है और वह उस सागर वाले कुँए पर पानी भरने के लिए नहीं गया था। उक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षण कंडिका 14 में दिया गया सुझाव में उसके द्वारा इस बात को स्वीकार किया है कि उक्त घटना में किसी ने उसकी मारपीट नहीं की। साक्षी का उक्त कथन स्वभाविक है। यह आवश्यक नहीं है कि घटना स्थल के पास पहुँचे हुए प्रत्येक व्यक्ति के साथ मारपीट करने वाले व्यक्ति मारपीट करे। यदि मारपीट करने वाले व्यक्ति किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की मारपीट करने के आशय या उद्देश्य से की है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह घटना पर पहुँचे प्रत्येक व्यक्ति को भले ही उनका दुश्मन है या उससे उनकी कोई रंजिश हो उसकी भी मारपीट करें। ऐसी दशा में केवल इस आधार पर कि उक्त साक्षी मोहकमसिंह की घटना दिनांक को घटना स्थल पर कोई मारपीट नहीं की गई है, उसे कोई चोट नहीं आई है उसकी घटना स्थल पर मौजूदगी के तथ्य को और उसके समर्थन कथन को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार या कारण नहीं हो सकता है।

35. वर्तमान साक्षी मोहकमसिंह के संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि उक्त साक्षी मोहकमसिंह जिसकी कि आरोपी सुरेन्द्र और अन्य उसके परिवार जन आरोपीगण से पूर्व से विवाद और रंजिश और पार्टीबंदी चली आ रही है तथा उक्त साक्षी मोहकमसिंह एक दल विशेष का प्रभावशील सदस्य है जबकि आरोपीगण दूसरे दल से संबंधित है। इस कारण चुनावी राजनीति व उसका आरोपीगण से पहले विवादों के कारण उसके द्वारा फरियादी पक्ष से मिलकर सक्रीय रूप से भागीदारी करते हुए आरोपीगण को झूठा लिप्त कराया गया हो और उनके विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया हो। इस आशय के प्रश्न प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी मोहकमसिंह अ0सा0 4 के अतिरिक्त अन्य साक्षीगण घटना के फरियादी बिक्रमसिंह अ0सा0 2, उम्मदसिंह अ0सा0 3 एवं सोनू अ0सा0 5 से भी पूछे गए हैं।

36. उपरोक्त संबंध में साक्षी मोहकमसिंह अ0सा0 4 के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में

आरोपी के परिवार से मुकद्दमेवाजी की बात को स्वीकार किया है, किन्तु उसके द्वारा कंडिका 7 में स्पष्ट रूप से इस बात से इंनकार किया है कि बिगत 25 वर्षों से उसके और सुरेन्द्र सिंह के मध्य निरंतर विवाद की स्थिति चुनाव और राजनीतिक दल की पार्टीबंदी होने के कारण बनी रही है और इस सुझाव से भी इंनकार किया है कि इसी पार्टीबंदी के कारण वह सदैव सुरेन्द्र सिंह को नीचा दिखाने के कोशिश करता है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंनकार किया है कि जब वह चुनाव लड़ा था तो फरियादी बिक्रमसिंह व मृतक कल्याणसिंह ने उसका चुनाव प्रचार किया था। उक्त साक्षी का आरोपी पक्ष से आपसी विवाद व मुकद्दमेवाजी चलने मात्र के आधार पर साक्षी को हितबद्ध साक्षी होना मानते हुए उसके सम्पूर्ण कथन को दरकिनार करने का कोई आधार नहीं है। गाँव में सामान्यतः पंचायत चुनाव में या आपसी विवाद व मन-मुटाव होते रहते हैं, किन्तु इस प्रकार के विवादों के कारण अपने विरोधियों को कोई व्यक्ति जबरन हत्या एवं हत्या के प्रयत्न जैसे प्रकरणों में लिप्त करने में हित रखता हो इसकी संभावनाएं काफी कम होती हैं। वर्तमान प्रकरण में ऐसा किया जा रहा हो यह मान्य नहीं किया जा सकता है।

37. साक्षी मोहकमसिंह अ0सा0 4 के प्रतिपरीक्षण उपरांत उक्त साक्षी के कथनों में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कोई भी तात्त्विक या गंभीर प्रकार का विरोधाभाष, बिसंगति या लोप आना दर्शित नहीं होता है जिससे कि उक्त साक्षी की विश्वसनीयता प्रभावित होती हो। सूक्ष्म प्रकार की विसंगति, विरोधाभाष या लोप जो कि स्वभाविक तौर से कथन देने के दौरान आ सकता है। मात्र इन आधारों पर साक्षी की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती है। स्वभाविक रूप से साक्षी जो कि उसी गाँव का रहने वाला है और घटना के समय जो कि सुबह 07:30 बजे की है पानी भरने के लिए जा रहा था। उक्त साक्षी की समग्र साक्ष्य के उपरांत घटना स्थल पर उसकी मौजूदगी और उसके द्वारा घटना घटित होते देखा जाने का तथ्य प्रतिकूलित नहीं होता है।

38. अभियोजन के द्वारा घटना के समय मौजूद बताए गए अन्य चक्षुदर्शी साक्षी सोनूसिंह अ0सा0 5 के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन के द्वारा बताए गए घटनाक्रम जिसमें कि सभी आरोपीगण के घटना स्थल पर मौजूदगी व घटना में आरोपीगण के द्वारा बिक्रमसिंह व कल्याणसिंह की मारपीट की जाना व कल्याणसिंह को गोलियाँ लगने और बिक्रमसिंह को शरीर में चोटें आने के अतिरिक्त मुख्य परीक्षण में उसके द्वारा यह भी बताया गया है कि आरोपी अशोक ने फायर किया था जिसका छर्छा उसके दाएं तरफ छाती में लगा था और वह बाद में मोटरसाइकिल पर थाना पहुँचा था। बिक्रमसिंह ने पहले ही रिपोर्ट लिखा दी थी। इस प्रकार उक्त साक्षी सोनू स्वयं को घटना में आहत होना बताते हुए उसकी भी

हत्या करने का प्रयत्न घटना के समय किए जाने बावत् कथन किया है।

39. इस संबंध में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि आहत सोनू को घटना में कोई भी चोट आना प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित नहीं है। यद्यपि आहत सोनू का चिकित्सीय परीक्षण हुआ है और चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 9 के द्वारा आहत सोनू के सीने में दाहिनी तरफ निप्पल में 4 से.मी. अंदर की तरफ कटा हुआ घाँव जिसका आकार 0.6 गुणा 0.2 से.मी. था और चमड़ी झुलसी हुई थी जो कि अग्नये शस्त्र से चोट आ सकना बताया है और इस संबंध में रिपोर्ट प्र.पी. 26 होना बताया है। उक्त साक्षी सोनू के द्वारा आरोपी अशोक के फायर करने पर छर्चा उसकी दाईं तरफ छाती में लगना अपने न्यायालय में हुए कथन के दौरान बताया है। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि उक्त बात साक्षी के द्वारा पुलिस को दिए गए कथन प्र.डी. 3 में कहीं भी नहीं बतायी गयी है। सर्वप्रथम न्यायालय में हुए कथन में उक्त बात उसके द्वारा बताई जा रही है। प्रतिपरीक्षण कंडिका 9 में साक्षी ने प्र.डी. 3 कथन में यह बता देना अभिकथित किया है कि अशोक ने फायर किया था जिसका छर्चा उसके दाहिने तफर छाती में लगा था।

40. इस प्रकार आहत सोनूसिंह के द्वारा सर्वप्रथम न्यायालय के समक्ष उपस्थिति होकर आरोपी अशोक सिंह के द्वारा फायर करने पर छर्चा उसे लगने की बात बताई है, जबकि उक्त तथ्य न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित है और न ही उक्त साक्षी के पुलिस कथन प्र.डी. 3 में इस प्रकार का कोई तथ्य आया है। पुलिस को दिए गए कथन में उसके द्वारा यह बताया गया है कि उसे छाती में जलन हो रही थी तो उसने देख कि उसे छर्छे का घाँव हो गया था, जबकि न्यायालय में हुए कथन में वह आरोपी अशोक के द्वारा फायर किया जाने पर उसे छर्चा दाहिनी तरफ छाती में लगना बताया है। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर साक्षी के द्वारा अपने कथन में अत्यधिक सुधार किया जा रहा है और इस बिन्दु पर कि आरोपी या किसी आरोपी का आशय या उनका सामान्य उद्देश्य वर्तमान आहत सोनू सिंह को भी मारपीट करने या उसे उपहति करने का अथवा उसकी हत्या करने के प्रयत्न का था, ऐसा मात्र उक्त साक्षी के द्वारा किए गए उपरोक्त कथन के आधार पर प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

41. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षी घटना के फरियादी बिक्रमसिंह अ0सा0 2 एवं चक्षुदर्शी साक्षी उम्मेदसिंह अ0सा0 3 के कथनों में कहीं भी सोनू को कोई भी चोट लगने अथवा सोनू के साथ भी आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा कोई मारपीट की घटना कारित की जाने का कोई तथ्य नहीं आया है। इस बिन्दु पर यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी मोहकमसिंह अ0सा0 4 के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया गया है कि रिपोर्ट करने के लिए उम्मेदसिंह और सोनू गया थे, किन्तु सोनू के द्वारा उसी दिन उसके साथ घटना बावत्

कोई बात पुलिस को बताई गई हो अथवा उसके द्वारा कोई रिपोर्ट इस आशय की, की गई हो ऐसा कहीं भी दर्शित नहीं होता है।

42. यह भी उल्लेखनीय है कि जिस शर्ट पर गोली का छर्रा लगा होना आहत सोनू बता रहा है उसे पुलिस के द्वारा घटना के तीन महीने बाद जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 7 तैयार करना उसके द्वारा बताया गया है। शर्ट की जप्ती मोहकमसिंह अ0सा0 4 व विवेचना अधिकारी उमेश सिंह तोमर अ0सा0 11 के द्वारा भी बताया गया है। इस संबंध में यह अति महत्वपूर्ण है कि उक्त जप्तशुदा शर्ट परीक्षण हेतु राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गई है। उपरोक्त संबंध में राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.सी. 2 में आर्टिकल "एच" जो कि सोनू से दिनांक 04.03.2011 को जप्तशुदा शर्ट होना प्र.सी. 1 में भी बताया गया है। उक्त शर्ट जिसे कि न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा प्र.सी. 3 के रूप में चिन्हित किया गया है उसमें हुए छिद्र "एच.1" की पुष्टि गनशॉट छिद्र के रूप में नहीं हुई है। जैसा कि इस संबंध में प्र.सी. 2 की रिपोर्ट से स्पष्ट है तथा प्र.सी. 1 में भी उक्त शर्ट जिसे कि "एच" से मार्क किया गया है जिसमें किसी प्रकार के खून के धब्बे होना भी नहीं पाया गया है। घटना के संबंध में सोनू के द्वारा पहनी गई शर्ट में कोई भी गनशॉट के छिद्र नहीं हैं। इस प्रकार उक्त साक्षी के आधार पर इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि सोनू को आई हुई उपरोक्त गनशॉट की कथित चोट घटना के दौरान ही आई हो।

43. इस प्रकार सोनू को भी मारपीट करने का आरोपीगण का कोई आशय या उद्देश्य रहा हो और उसके साथ भी इस दौरान आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा उसे जान से मारने का प्रयत्न किया गया हो इस तथ्य का कोई भी साक्ष्य नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त आहत बताए गए साक्षी सोनू के कथन पुलिस के द्वारा उसी दिन न लेकर दूसरे दिन दिनांक 21.11.10 को लिया गया है, जबकि उक्त साक्षी स्वयं थाना पर गया था और अपने को घटना में छर्रा लगा होना बता रहा है।

44. यद्यपि आहत सोनू को घटना में चोट आने का तथ्य प्रमाणित नहीं है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षी की स्थिति आहत साक्षी की नहीं है उसके सम्पूर्ण साक्ष्य कथन को अस्वीकार करने का कोई आधार या कारण नहीं हो सकता। **"एक बात में असत्य सब बात में असत्य"** यह सिद्धांत भारत में लागू नहीं हो। साक्षी सोनू सिंह जो कि घटना के समय गाँव में ही था और अपने दरवाजे पर कुल्ला कर रहा था और उसके द्वारा बिक्रम सिंह के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह घटना स्थल पर गया और इस दौरान भी उसके द्वारा घटना देखी गई। इस संबंध में साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि सुबह 07:30 बजे उस स्थान पर कल्याणसिंह और बिक्रमसिंह के साथ कोई घटना

नहीं हुई थी जहाँ कि वह घटना होना बता रहा तथा इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसे झूठा गवाह के रूप में बाद में बनाया गया है। कंडिका 18 में बताया है कि जब वह चिल्लाने की आवाज सुनकर घटना स्थल पर गये तो उस समय लाठियों से मारपीट की घटना हो रही थी, मृतक कल्याण उर्फ कल्ली को लाठियों से नहीं मारा था उसे बंदूक की चोट थी।

45. उपरोक्त साक्षी सोनू सिंह अ0सा0 5 जो कि ग्राम निवरौल का ही रहने वाला है। घटना जो कि सुबह 07:00-07:30 बजे की घटित होना बताई जा रही है, उस समय उसका गाँव में उपस्थिति होना स्वभाविक कहा जा सकता है। उक्त साक्षी जिसके घर से घटना स्थल दिखाई देता है और यदि चिल्लाने के आवाज सुनकर घटना स्थल पर पहुँचकर उसके द्वारा घटना देखी गई है तो यह भी अस्वभाविक नहीं कहा जा सकता। मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षी के घटना स्थल पर मौजूद होने का तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं आया है यह उसके सम्पूर्ण साक्ष्य पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकता है। जैसा कि इस संबंध में 2005 सी.आर.एल.जे. 108 स्टेट ऑफ म.प्र. विरूद्ध धारकोली बगैरह में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभिधारित किया है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में तात्त्विक या गंभीर प्रकार का विरोधाभास तथा बिसंगति आनी दर्शित नहीं होती है जिससे कि उसके सम्पूर्ण साक्ष्य कथन अविश्वसनीय या बनावटी होना प्रमाणित हो। साक्षी के द्वारा फरियादी पक्ष से अथवा मोहकमसिंह अ0सा0 4 से मिलकर और उसके प्रति हितबद्ध होते हुए असत्य रूप से साक्षी बनकर साक्ष्य दी जा रही हो ऐसा भी मानने का कोई आधार नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी के समक्ष मृतक कल्याण सिंह की मृत्यु होने के उपरांत उसके शरीर का लाश पंचायतनामा भी तैयार किया गया जो कि सफीना फार्म प्र.पी. 3 और लाश पंचायतनामा प्र.पी. 4 पर अपने हस्ताक्षर होना उसके द्वारा बताया गया है तथा जो तथ्य विवेचना अधिकारी उमेश सिंह तोमर अ.सा. 11 के द्वारा भी सम्पुष्ट है। इस प्रकार साक्षी सोनू अ0सा0 5 के कथन का आधार पर भी फरियादी बिक्रमसिंह के कथन व अभियोजन प्रकरण का इस बिन्दु पर समर्थन व सम्पुष्टि होनी पाई जाती है कि घटना दिनांक को आरोपीगण घटना स्थल पर आए थे और उनके द्वारा घटना स्थल पर फरियादी बिक्रमसिंह व उसके भाई कल्याणसिंह की मारपीट की और इस दौरान मृतक कल्याणसिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि बिक्रमसिंह को प्राण घातक उपहति कारित की।

46. इस प्रकार अभियोजन के द्वारा प्रकरण के संबंध में प्रस्तुत उपरोक्त साक्षीगण जिसमें घटना का आहत साक्षी बिक्रमसिंह अ0सा0 2, घटना के चक्षुदर्शी साक्षी उम्मेदसिंह अ0सा0 3, मोहकमसिंह अ0सा0 4 तथा सोनू सिंह अ0सा0 5 के कथनों के आधार पर घटना

दिनांक को घटना स्थल पर वर्तमान में विचारित किए जा रहे सभी आठों आरोपीगण के हथियार सहित घटना स्थल पर आने और उनके द्वारा फरियादी बिक्रमसिंह के भाई कल्याण सिंह को कप्तान सिंह के घर के पास मारपीट करने तथा फरियादी बिक्रमसिंह के द्वारा बचाव करने हेतु जाने पर उसके साथ भी आरोपीगण के द्वारा फरियादी एवं उसके भाई को खींचकर पुलंदर के गौंडा के पास ले जाने एवं वहाँ पर आरोपी पुलंदर सिंह के द्वारा कुल्हाड़ी उसे सिर में मारने व अन्य आरोपी अनिल सिंह, नारायणसिंह के द्वारा फरियादी बिक्रमसिंह को लाठी से मारपीट की जाने तथा मृतक कल्याण सिंह को पहले आरोपी बदनसिंह के द्वारा जॉघ में गोली मारने और फिर आरोपी सुरेन्द्र सिंह के द्वारा कल्याणसिंह को गर्दन में गोली मारे जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से साक्ष्य आई है। आहत बिक्रमसिंह जिसे कि उक्त घटना में मार्मिक अंग सिर में धारदार वस्तु कुल्हाड़ी से चोट पहुँचाई गई है। निश्चित तौर से यदि किसी व्यक्ति के सिर में चोट पहुँचाई जाए तो इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि उसकी इस प्रकार की आई चोटों से मृत्यु कारित हो सकती हो।

47. मृतक कल्याणसिंह की हत्या कारित करने का आशय अथवा ज्ञान तथा आहत बिक्रमसिंह को हत्या करने के प्रयत्न के संबंध में आशय व ज्ञान तथा परिस्थितियों का जहाँ तक प्रश्न है इस संबंध में पूर्ववर्ती विवेचना से यह स्पष्ट है कि मृतक कल्याणसिंह की मृत्यु उसे गोलियाँ लगने से हुई है। मृतक कल्याणसिंह को पहुँचाई गई गोली की चोट जो कि गर्दन में लगकर कमर से निकली है वह चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है और उसके कारण ही मृतक की मृत्यु है जो कि चिकित्सीय साक्ष्य से भी सम्पुष्ट है। आहत बिक्रमसिंह की हत्या करने के आशय ज्ञान व इस संबंध में परिस्थिति का जहाँ तक प्रश्न है उक्त आहत बिक्रमसिंह को कुल्हाड़ी जो कि धारदार हथियार से सिर जो कि मार्मिक अंग है में चोट पहुँचाई जाए तो यह अति संभाव्य है कि उक्त प्रकार की चोटों से उसकी मृत्यु कारित हो सकती है। इस संबंध में 2006 सी.आर.एल.जे. 3899 फुलचिरला वि0 स्टेट ऑफ एम.पी. उल्लेखनीय है। इस प्रकार प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि आरोपीगण जो कि घटना दिनांक को घटना स्थल पर उपस्थिति थे उनके द्वारा साशय मृतक कल्याणसिंह की हत्या की गई है तथा आहत बिक्रमसिंह के साथ भी इस आशय या ज्ञान से अथवा ऐसी परिस्थितियों में मारपीट की गई है कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपीगण हत्या के दोषी हो जाते।

48. घटना स्थल की स्थिति का जहाँ तक प्रश्न है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 में घटना स्थल ग्राम निवरौल में कप्तानसिंह के घर के सामने का होना बताया गया है। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्षीगण जिनका कि पूर्व में विवेचन किया गया है उनके



साक्ष्य कथन में भी स्पष्ट रूप से यह आया है कि घटना ग्राम निवरौल में कप्तानसिंह के घर के बाहर प्रारंभ होना बताया गया है और आरोपीगण मृतक कल्याणसिंह और उसके भाई बिक्रमसिंह को खींचकर पुलंदर के गौंडा के पास तक ले गए। पुलंदर के गौंडा के पास फरियादी बिक्रमसिंह और उसके भाई कल्याणसिंह को जान से मारने की नियत से चोटें पहुँचाई गईं जो कि कल्याणसिंह की गोली लगने से मृत्यु हो गई। घटना का नक्शा मौका प्र. पी. 5 में उक्त वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया गया है। इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी उमेश सिंह तोमर अ0सा0 11 के द्वारा भी उक्त नक्शा मौका साक्षी मोहकमसिंह के समक्ष बनाया गया है। साक्षी मोहकमसिंह अ0सा0 4 के द्वारा भी उसका समर्थन किया गया है। इस बिन्दु पर प्रतिपरीक्षण उपरांत कोई भी विपरीत तथ्य नहीं आया है। पुलंदर के घर (गौंडा) पर 12बोर का खोखा व 315 बोर के तीन खोखे और मृतक का सॉल व खून पड़ा होना भी नक्शा मौका प्र.पी. 5 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

49. बचाव पक्ष के द्वारा घटना के फरियादी बिक्रमसिंह व अन्य साक्षियों को प्रतिपरीक्षण के दौरान घटना स्थल व घटना समय एवं कल्याणसिंह की मृत्यु होने तथा बिक्रमसिंह के घायल होने के घटना स्थल के संबंध में यह सुझाव दिया गया है कि घटना सुबह साढ़े चार बजे ग्राम निवरौल में तालाब की पार के पास रास्ते में अज्ञात बदमाशों के द्वारा की गई थी जिसमें कि फरियादी बिक्रम वेहोश हो गया था और उसके भाई कल्याणसिंह की मृत्यु हो गई थी। उक्त सुझाव को दृढ़ता पूर्वक फरियादी के द्वारा अस्वीकार किया गया है। घटना स्थल का नक्शा मौका जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् तैयार किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से घटना स्थल को दर्शाया गया है तथा अभियोजन साक्षियों के कथनों में भी घटना स्थल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। इस संबंध में यदि फरियादी घटना में वेहोश हो गया था तो उसको कब होश आया ऐसा कहीं भी बचाव पक्ष के द्वारा नहीं बताया गया है। गाँव के चौकीदार जिसे कि तालाब के पास एक व्यक्ति का शव पड़े होने और एक व्यक्ति वेहोशी की अवस्था में पड़े होना बताया जाना बचाव साक्षी अभिकथित कर रहे हैं उस चौकीदार का भी कोई कथन नहीं कराया गया है। ऐसी दशा में उक्त घटना स्थल ग्राम निवरौल गाँव का न होकर गाँव के बाहर तालाब की पार के बगल में रास्ते में होना मान्य नहीं किया जा सकता।

50. घटना घटित होने की सम्पुष्टि घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी एवं तीन खोखे 315 बोर के और एक खोखा 12 बोर का तथा मृतक का एक सॉल हल्के कथई रंग की जप्ती जो कि अनुसंधान अधिकारी उमेश सिंह तोमर अ0सा0 11 के द्वारा बताया गया है जो कि उक्त जप्ती का समर्थन साक्षी मोहकमसिंह अ0सा0 4 के द्वारा भी किया

गया है। इसके अतिरिक्त विवेचना अधिकारी ने आरोपी नारायणसिंह, आरोपी निरंजन सिंह एवं आरोपी अनिल से उनके मेमोरेडम कथन के आधार पर लाठी की जप्ती करना एवं आरोपी पूरन उर्फ पुलंदर सिंह से एक लोहे की कुल्हाड़ी, आरोपी जोगेन्द्र से एक कट्टा जप्त करना तथा आरोपी अशोकसिंह से 12 बोर की दुनाली बंदूक तथा आरोपी सुरेन्द्र सिंह और बदनसिंह से 315 बोर की रायफल जप्त करना बताया है। उपरोक्त जप्ती के संबंध में यद्यपि जप्ती के साक्षी अजयसिंह भदौरिया अ0सा0 8 जो कि आरोपी सुरेन्द्र सिंह से जप्ती के अतिरिक्त अन्य लोगों से जप्ती के तथ्य का साक्षी है तथा आरोपी सुरेन्द्र सिंह से 315 बोर की बंदूक की जप्ती के साक्षी दिनेश सिंह अ0सा0 12 और सुरेश अ0सा0 13 के द्वारा जप्ती की कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया गया है, किन्तु जबकि जप्ती के बिन्दु पर विवेचना अधिकारी के स्पष्ट कथन है जो कि उनके प्रतिपरीक्षण उपरांत अखण्डनीय रहा है। ऐसी दशा में यदि जप्ती के संबंध में उपरोक्त साक्षियों के द्वारा जप्ती की कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया गया है तो इससे सम्पूर्ण कार्यवाही पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

51. अभियोजन प्रकरण के संबंध में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.सी.1 में मृतक कल्याण के पेंट व शर्ट जिन्हें कि प्र.ए1 और ए2 से अंकित किया गया है तथा घटना स्थल की खून आलूदा मिट्टी जिसे कि "आई" से अंकित किया गया है। मृतक के पेंट व शर्ट तथा घटना स्थल की मिट्टी और मानव रक्त होना पाया गया है तथा मृतक की पेंट व घटना स्थल से जप्त किए गए खून आलूदा मिट्टी में एक ही समूह का रक्त जो कि "ओ" ग्रुप का रक्त होना पाया गया है। उक्त तथ्य भी इस बात की पुष्टि करता है कि मृतक कल्याणसिंह के साथ घटना अभियोजन के द्वारा बताए जा रहे घटना स्थल पर ही घटित हुई थी। इसके अतिरिक्त राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.सी.2 में मृतक कल्याणसिंह के पेंट व शर्ट पर पाए गए छिद्र बुलेट लगने से बने होना स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। आरोपी बदनसिंह और आरोपी सुरेन्द्र सिंह से जप्त की गई 315 बोर की रायफलें जो कि घटना में उनके द्वारा प्रयुक्त करना अभियोजन की ओर से प्रस्तुत चक्षुदर्शी साक्षियों के द्वारा बताया गया है। उक्त दोनों रायफलें चालू हालत में होनी पाई गई है और उनके बेरल के परीक्षण से उन्हें पूर्व में चलाए जाने के अवशेष भी पाए गए हैं तथा उक्त रायफलों को चलाकर प्राण घातक चोटें पहुँचाई जा सकती है। जैसा कि राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.सी.3 से स्पष्ट है। इस प्रकार उक्त साक्ष्य के आधार पर भी अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होती है।

52. अभियोजन प्रकरण के संबंध में यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि सभी आरोपीगण का प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से नाम आया है। यह उल्लेखनीय है

कि घटना के पश्चात् आरोपीगण जो कि उसी गाँव के रहने वाले है वह गाँव में नहीं मिले थे। आरोपी बदनसिंह, सुरेन्द्रसिंह घटना के पश्चात् फरार रहे है और उनको फरार दर्शाते हुए अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया है। उक्त दोनों आरोपी बदनसिंह की गिरफ्तारी दिनांक 17.03.2011 तथा सुरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी 21.03.2011 को हुई है जो कि घटना के लगभग चार माह तक उक्त दोनों आरोपी फरार रहे है। इसके अतिरिक्त अन्य आरोपी की अशोकसिंह और पूरनसिंह उर्फ पुलंदर की गिरफ्तारी दिनांक 02.02.11 को हुई है तथा आरोपी निरंजनसिंह और नारायणसिंह की गिरफ्तारी दिनांक 12.12.2010 तथा योगेन्द्र और अनिल सिंह की गिरफ्तारी दिनांक 29.12.2010 को हुई है। इस प्रकार सभी आरोपी घटना के बाद फरार हो गए थे। उक्त परिस्थिति भी घटना में आरोपीगण के संलग्न होने और उनके द्वारा घटना कारित की जाने की सम्पुष्टि करता है।

53. बचाव पक्ष के द्वारा अभियोजन प्रकरण व अभियोजन के द्वारा बताए गए घटनाक्रम को संदिग्ध होने के संबंध में अपने तर्क के दौरान मुख्य रूप से निम्न आधार लिए गए है—

1. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण हितबद्ध एवं परस्पर संबंधित साक्षी है, उनके कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
2. साक्षियों के कथनों में तात्विक बिन्दुओं पर गंभीर विरोधाभास एवं विसंगतियाँ आई है और उनकी घटना स्थल पर उपस्थिति भी संदिग्ध है जिससे उनके कथन विश्वसनिय नहीं होने नहीं माने जा सकते।
3. घटना की प्रथ सूचना रिपोर्ट एन्टीडेटेड एवं एन्टीटाइम है, धारा 157 दं.प्र.सं. के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया है।
4. घटना में प्रयुक्त किए गए हथियार की पहिचान नहीं कराई गई है तथा इस संबंध में चिकित्सक से कोई अभिमत नहीं लिया गया है एवं प्रकरण में मौखिक साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से मेल नहीं खाती है।
5. घटना घटित होने का कोई हेतुक (Motive) भी प्रमाणित नहीं है।

54. उक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में बचाव पक्ष के द्वारा अभियोजन के प्रकरण को संदेहास्पद बताते हुए यह आधार लिया है कि मृतक कल्याणसिंह तथा आहत बिक्रमसिंह को ग्राम निवरौल के तालाब की पार के पास जहाँ कि मृतक कल्याणसिंह और उसका भाई निरंजन शौच के लिए गए थे, वहाँ सुबह पांच-साढ़े पांच बजे शौच के बाद हाथ धौते समय

किन्हीं अज्ञात हमलाबरो ने कल्याणसिंह व बिक्रमसिंह पर हमला कर दिया था जिससे कि कल्याणसिंह की मृत्यु हो गई थी और बिक्रमसिंह वेहोश हो गया था एवं बाद में मोहकमसिंह व फरियादी तथा अन्य साक्षियों ने मिलकर वर्तमान प्रकरण सुरेन्द्र और उसके घर वालों के विरुद्ध रंजिशन उन्हें फंसाने के उद्देश्य से बनवाया है। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष के द्वारा आरोपी अशोकसिंह का पेर फेक्चर होने से घटना दिनांक को उसके घटना स्थल पर मौजूद न होकर ग्वालियर इलाज के लिए गया होने और उसके साथ बदनसिंह का भी साथ में जाना बताते हुए उक्त आरोपीगण के संबंध में “अनयत्र उपस्थिति” (Albee) का आधार लिया है। इसी प्रकार आरोपी सुरेन्द्र सिंह के संबंध में भी उसके घटना दिनांक को गाँव में मौजूद न होकर 80-85 किलोमीटर दूर टेकनपुर में अखण्ड रामायण कार्यक्रम में जाना बताते हुए उसके संबंध में भी अनयत्र उपस्थिति का आधार लिया गया है।

55. बचाव पक्ष के द्वारा अभियोजन प्रकरण के संबंध में उसके संदिग्ध होने के संबंध में लिया गया प्रथम आधार कि अभियोजन साक्षी हितबद्ध एवं एक दूसरे से संबंधित साक्षी है। साक्षी बिक्रमसिंह मृतक का भाई होने से उसका रिस्तेदार है। साक्षी मोहकमसिंह जिसकी कि आरोपीगण से राजनैतिक प्रतिद्वंदता है उसके द्वारा अन्य साक्षियों उम्मेदसिंह व सोनू सिंह को भी अपने पक्ष में लेकर आरोपीगण को झूठा लिप्त किया जा रहा है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के द्वारा घटना स्थल पर बीच बचाव करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। ऐसी दशा में उनकी घटना स्थल पर उपस्थिति भी संदिग्ध है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा 1993 सी.आर.आई.एल.जे. 1796 अनिल फूकन वि० स्टेट ऑफ आसाम, 1997 (2) जे.एल.जे. 31 धानूसिंह बगैरह वि० स्टेट ऑफ एम.पी. एवं ए.आई.आर. 1978 सुप्रीमकोर्ट 59 बीरसिंह बगैरह वि० स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश पेश किया है।

56. बचाव पक्ष के द्वारा लिये गए उपरोक्त आधार का जहाँ तक प्रश्न है। यद्यपि यह सत्य है कि अभियोजन साक्षी बिक्रमसिंह मृतक कल्याणसिंह का भाई है तथा अभियोजन के अन्य साक्षीगण फरियादी के गाँव के ही है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि अभियोजन साक्षी मृतक के रिस्तेदार है इसके आधार पर साक्षी को हितबद्ध मानते हुए उसे अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं है। जैसा कि इस संबंध में 2007 सी.आर.एल.जे. 2736 मानो वि० स्टेट ऑफ तमिलनाडू ए.आई.आर 2011 एस.सी. 233 बीरेन्द्र पोतदार वि० स्टेट ऑफ बिहार उल्लेखनीय है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिधारित किया गया है कि मात्र निकट संबंधी होने के आधार पर साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं माना जा सकता जब तक कि यह विचार करने का कोई कारण या आधार न हो कि ऐसे आरोपीगण को साक्षी मिथ्या फंसाने में रुचि रखते हो और आरोपीगण को झूठा लिप्त किए

जाने के संबंध में उचित नींव रखी जानी आवश्यक है। (2009) 6 एस.सी. 600 स्टेट ऑफ यू0पी. विरुद्ध सुबोधनाथ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभिधारित किया गया है कि यह एक सामान्य मानवीय स्वभाव है कि रिस्तेदार साक्षीगण उनके रिस्तेदार की हत्या के मामले में किसी अन्य को नहीं फंसाएगा, वह चाहेगा कि असली अपराधी दंडित हो।

57. आरोपीगण एवं प्रकरण के साक्षी मोहकमसिंह के बीच गाँव की राजनैतिक प्रतिद्वंदता रहने का जहाँ तक प्रश्न है यद्यपि उनके मध्य राजनैतिक प्रतिद्वंदता होने का तथ्य साक्ष्य के दौरान आया है किन्तु प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण साक्ष्य एवं प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों में ऐसा नहीं माना जा सकता है कि फरियादी बिक्रमसिंह व अन्य साक्षीगण उम्मेदसिंह, सानेसिंह मात्र इस आधार पर कि आरोपीगण की मोहकमसिंह के राजनैतिक प्रतिद्वंदता है के कारण ही आरोपीगण के विरुद्ध हितबद्ध होकर कथन कर रहे हो और उन्हें घटना में झूठा लिप्त किया जा रहा हो। इसके अतिरिक्त मात्र इस आधार पर कि अभियोजन के द्वारा घटना के संबंध में पेश चक्षुदर्शी साक्षियों उम्मेदसिंह, मोहकमसिंह व सोनू सिंह के द्वारा कोई बीच बचाव घटना के समय नहीं किया गया है। यह तथ्य भी उनके साक्ष्य पर अविश्वास करने अथवा उन्हें हितबद्ध होकर साक्ष्य देने की अवधारणा करने का भी कोई आधार नहीं हो सकता। यह आवश्यक नहीं है कि घटना स्थल पर पहुँचा प्रत्येक व्यक्ति घटना में स्वयं बीच बचाव करे और यह भी आवश्यक नहीं है कि घटना कारित करने हेतु आए हुए आरोपी घटना स्थल पर पहुँचे हुए साक्षियों के साथ भी मारपीट करें। इस बिन्दु पर 2007 सी. आर.एल.जे. 2885 बहादुरसिंह वि0 स्टेट ऑफ पंजाब उल्लेखनीय है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिधारित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को घटना के संबंध में अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। इस संबंध में कोई एक निश्चित मानवीय व्यवहार निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य एवं परिस्थिति वर्तमान प्रकरण से भिन्न है उसके आधार पर अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद मानते हुए बचाव पक्ष को कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता।

58. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया अन्य आधार कि घटना के फरियादी एवं अन्य चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों में तात्त्विक बिन्दुओं पर विरोधाभाष एवं बिसंगति आई है और उनके द्वारा न्यायालय में कथन देते समय पुलिस को दिए गए कथन से सुधार किया गया है विशेषतः मृतक कल्याणसिंह को गोलियाँ लगने के स्थान के संबंध में समान प्रकार का विरोधाभाष साक्षियों के कथनों में है। साक्षीगण की घटना स्थल पर मौजूदगी संदिग्ध है। ऐसी दशा में प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य कथन विश्वसनीय नहीं है। बचाव पक्ष के द्वारा 1993 सी.आर.आई.एल.जे. 150 धर्मसिंह बगैरह वि0 स्टेट ऑफ पंजाब, 2004(2)

जे.एल.जे. 67 बादामसिंह वि0 स्टेट ऑफ एम.पी., 2009 (2) एस.सी.सी. क्रिमिनल 200 लूनाराम वि0 भूपतसिंह बगैरह पेश किया गया है।

59. घटना के फरियादी एवं चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों में विरोधाभास एवं बिसंगति व सुधार का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में यद्यपि अभियोजन साक्षियों के कथनों में उनके पूर्ववर्ती पुलिस को दिए गए कथन व न्यायालय में हुए कथन में कतिपय विरोधाभास एवं बिसंगति आई है, किन्तु घटना के समय फरियादी बिक्रमसिंह के जो कि घटना का आहत भी है मौके पर उपस्थिति होना प्रमाणित है तथा अन्य साक्षियों के भी मौके पर उपस्थिति और उनका चक्षुदर्शी साक्षी होना भी प्रमाणित है। साक्षियों के प्रतिपरीक्षण के दौरान जो कि उनका विस्तृत एवं चातुर्यपूर्ण प्रतिपरीक्षण किया गया है इस दौरान कतिपय विरोधाभास बिसंगति लोप एवं आधिक्य आना संभव है। मात्र इस आधार पर साक्षियों के सम्पूर्ण साक्ष्य कथन को अविश्वसनीय मानते हुए उसे दरकिनार करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2008 सी.आर.एल.जे. 2992 शिवप्पा बगैरह वि0 स्टेट ऑफ कर्नाटक, ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 1528 मेहरवान वि0 स्टेट ऑफ एम.पी. में यह अभिधारित किया गया है कि साक्षियों के कथनों में कतिपय विरोधाभास बिसंगति या आधिक्य के आधार पर उनके साक्ष्य कथन को दरकिनार करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। साक्षियों की सामाजिक पृष्ठभूमि, घटना घटित होने के उपरांत से साक्ष्य होने तक के दिनांक के बीच समय अंतराल को देखते हुए इस प्रकार की बिसंगति या विरोधाभास आना स्वभाविक है। इस संबंध में साक्षियों के द्वारा मृतक कल्याणसिंह को लगी हुई गोलियों के स्थान के संबंध में जो कि मृतक कल्याणसिंह के गर्दन में लगते हुए पीठ से निकली है, इस परिप्रेक्ष्य में यदि साक्षियों के द्वारा गर्दन और पीठ दोनों में गोली लगने बावत् बताया है तो मात्र इस आधार पर भी उनके कथन अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों का जहाँ तक प्रश्न है, वर्तमान प्रकरण जो कि घटना के आहत साक्षी एवं चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों पर अविलंबित है तथा साक्षियों के कथनों में कोई भी ऐसा तात्त्विक प्रकार का विरोधाभास या बिसंगति आनी दर्शित नहीं होती है जिससे कि उनकी विश्वनीयता पूर्ण रूप से प्रभावित होती हो, उक्त न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर बचाव पक्ष को कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता।

60. बचाव पक्ष के द्वारा अपने तर्क के दौरान लिये गये अन्य आधार कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के तुरंत पश्चात् न लिखी जाकर बाद में सोच समझकर एवं सलाह मसवरा कर आरोपीगणों को झूठा लिप्त करने के आशय से लिखाई गई है, प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने के साथ साथ मार्ग भी कायम करना बताया जा रहा है, किन्तु इसकी सूचना संबंधित

क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट को भेजे का कोई भी तथ्य अभियोजन के द्वारा प्रमाणित नहीं कराया गया है। इस आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट एन्टीडेटेड एवं एन्टीटाइम न होकर फर्जी तौर से दर्ज कराई गई है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा 1995(2) सी.सी.आर.जे. 490 मेहरवान सिंह बगैरह वि० स्टेट ऑफ यू.पी. पेश किया गया है।

61. बचाव पक्ष के द्वारा लिए गए उपरोक्त आधार का जहाँ तक प्रश्न है। प्रकरण में अभियोजन के द्वारा पेश की गई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 प्रातः 08:35 बजे थाना गोहद में दर्ज कराई गई है जब कि घटना 07:30 बजे प्रातः की है और सूचना के आधार पर आकस्मिक मृत्यु अंतर्गत धारा 174 दं.प्र.सं. प्र.पी. 8 भी लेखबद्ध की गई है जो कि प्र०आर० रामप्रतापसिंह अ०सा० 7 के द्वारा लेखबद्ध करना बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी बिक्रमसिंह के द्वारा जो कि घटना का आहत भी है दर्ज कराए जाना स्पष्ट रूप से बताया गया है और उक्त रिपोर्ट लेखबद्ध करना साक्षी उमेशसिंह तोमर अ०सा० 11 के द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने के बाद मृतक के शव का पंचनामा बनाया गया है और मृतक के शव का परीक्षण चिकित्सक के द्वारा प्रातः 10 बजे किया जाना बताया गया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं मार्ग इंटिमेशन रिपोर्ट जो कि पुलिस अधिकारी उमेश सिंह तोमर अ०सा० 11 तथा प्र०आर० रामप्रतापसिंह अ०सा० 7 के द्वारा अपने कारोबार के सामान्य अनुक्रम में कार्य करते हुए दर्ज की गई है उसे सही होने की उपधारणा की जाएगी।

62. जहाँ तक धारा 157 दं.प्र.सं. के अनुपाल का प्रश्न है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि संबंधित क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को भेजी गई है। यद्यपि उक्त सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट को कब भेजी गई थी इस संबंध में भी अभियोजन के द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, किन्तु वर्तमान प्रकरण जो कि चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों पर आधारित है घटना की विवेचना प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने के तुरंत पश्चात् प्रारंभ कर दी गई है, मात्र इस आधार पर कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजे जाने के संबंध में कि वह कब भेजी गई है, इस आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट को एन्टीडेटेड एवं एन्टीटाइम मानते हुए सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। इस बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1997 एस.सी. 352 मदरू वि० स्टेट ऑफ म०प्र०, ए.आई.आर 1996 एस.सी. 304 स्टेट ऑफ कर्नाटक वि० मोईम पटेल, (2002)8 अलाचीनाऐपेटो वि० स्टेट ऑफ आन्ध्रप्रदेश उल्लेखनीय जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिधारित किया गया है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के तुरंत पश्चात् लिखाई जानी प्रमाणित है और तत्पश्चात् विवेचना किसी बिलम्ब के

बिना प्रारंभ कर दी गई है, ऐसी दशा में मात्र इस आधार पर कि एफ.आई.आर की प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को किन्हीं कारणों से बिलम्ब से प्राप्त हुई है सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत जिसके तथ्य एवं परिस्थिति वर्तमान प्रकरण से भिन्न है उसे आधार मानते हुए अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद मानते हुए आरोपीगण को दोषमुक्त किए जाने का कोई आधार नहीं है।

63. बचाव पक्ष के द्वारा अपने तर्क में लिया गया अन्य आधार कि घटना में प्रयुक्त बताए जा रहे हथियार की कोई पहिचान नहीं कराई गई है तथा इस संबंध में चिकित्सक को संबंधित हथियार दिखाकर कोई प्रश्न नहीं पूछे गए हैं जो कि इस तथ्य को प्रमाणित नहीं करता है कि आहत को उसी हथियार से चोट पहुँचाई गई थी। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा ए.आई.आर. 1976 सुप्रीम कोर्ट 76 करतारी बगैरह वि० स्टेट ऑफ यू.पी. पेश किया गया है।

64. बचाव पक्ष के द्वारा लिए गए उपरोक्त आधार का जहाँ तक प्रश्न है। सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण जो कि चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य पर आधारित है जिसमें कि घटना का फरियादी स्वयं आहत है। घटना के समय किस आरोपी के पास कौन सा हथियार था यह स्पष्ट रूप से फरियादी एवं चक्षुदर्शी साक्षियों के द्वारा बताया गया है। मेडीकल साक्षी के साक्ष्य का जहाँ तक प्रश्न है ए.आई.आर. 2008 एस.सी. मेहमूद बगैरह वि० स्टेट ऑफ यू.पी. में यह अभिधारित किया गया है कि मेडीकल ऑफीसर बेलिस्टिक विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। वह घटना में प्रयुक्त होने वाले अग्नेय शस्त्र के बारे में कोई अभिमत नहीं दे सकता। इस कारण उसके द्वारा इस संबंध में दिए गए अभिमत का कोई मूल्य नहीं हो सकता। उक्त परिप्रेक्ष्य में मात्र इस आधार पर कि हथियारों के संबंध में चिकित्सक से कोई अभिमत नहीं लिया गया है अथवा उनकी पहिचान नहीं कराई गई है मात्र इस आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण संदेहास्पद नहीं माना जा सकता।

65. बचाव पक्ष के द्वारा अपने तर्क के दौरान मौखिक साक्ष्य का मेडीकल साक्ष्य के विपरीत होने के संबंध में यह आधार लिया गया है कि मृतक कल्याणसिंह को जो गोली गर्दन में लगनी बताई जा रही है उसका ट्रैक वाई क्लेरीकल वून से लगकर दाँई बखा के नीचे निकला हुआ है और इस प्रकार गोली नीचे से उपर पार हुई है, ऐसा घाँव समतल भूमि पर खड़ी हुई स्थिति में नहीं आ सकता। इस प्रकार मृतक के शरीर पर जो घाँव गर्दन पर आया है वह मेडीकल साक्षी से मेल नहीं खाता है। इस प्रकार मौखिक साक्ष्य मेडीकल साक्ष्य के विपरीत होने से विश्वास योग्य नहीं है। इस संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया आधार कि



गाँव के बाहर तालाब की पार की ऊँचाई से मृतक कल्याणसिंह को गोली मारी गई है इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता तथा चिकित्सक के द्वारा भी मृतक को चोटें आने का समय भी उक्त अवधि से मेल खाता है।

66. उपरोक्त संबंध में यद्यपि चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा अ.सा. 9 के द्वारा मृतक एवं आरोपी समतल जगह पर बराबरी में खड़े हो तो मृतक कल्याणसिंह को चोट क्रमांक 3 जो कि गर्दन की बाईं तरफ क्लेरिकल हड्डी में आया हुई एन्ट्री घाँव जो कि पीठ के दाईं तरफ वखा के नीचे एक्जिट घाँव नहीं आ सकना स्वीकार किया है। इस संबंध में मृतक कल्याणसिंह को आई हुई गर्दन की चोट के संबंध में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षी जिनमें कि घटना का फरियादी एवं अन्य चक्षुदर्शी साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि मृतक कल्याणसिंह को पहले पाव में गोली लगी थी और पाव में गोली लगने से वह नीचे झुक गया था और नीचे झुकी हुई अवस्था में उसे दूसरी गोली मारी गई थी जो कि उसके गर्दन में लगी थी। इस प्रकार गर्दन की चोट मृतक को झुकी हुई अवस्था में लगना मौखिक साक्षियों के द्वारा स्पष्ट तौर से बताया गया है। निश्चित तौर से पेर में गोली लगने से किसी व्यक्ति की स्थिति पाव के बैलेंस न होने से झुकने की होगी और यदि कोई व्यक्ति नीचे झुका हुआ हो तो वह सामने खड़े व्यक्ति से नीचे होगा और इस स्थिति में यदि उसे गोली मारी जाए तो मृतक कल्याणसिंह को आई हुई चोट क्रमांक 3 व 4 आ सकती है। इस बिन्दु पर ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 1233 पंजाबसिंह वि० स्टेट ऑफ हरियाणा, (2010) 6 एस.सी.सी. 525 निरंजन पांजा वि० स्टेट ऑफ बंगाल में यह अभिधारित किया है कि यदि किसी बिन्दु पर कोई मौखिक साक्ष्य उपलब्ध है और जबकि मेडीकल साक्ष्य से पूर्णतः असंगत न हो मौखिक साक्ष्य मान्य की जाएगी। इस संबंध में मृतक को आई हुई चोट की अवधि का जहाँ तक प्रश्न है चिकित्सक के द्वारा शव परीक्षण के 6 घण्टे के भीतर चोट आना बताया है। किन्तु मात्र इस आधार पर यह मान्य नहीं किया जा सकता कि उसे पहुँचाई गई चोट सुबह चार-साढ़े चार बजे पहुँचाई गई हो। इस संबंध में चिकित्सक डॉ० आलोक शर्मा अ०सा० 9 के द्वारा अपने साक्ष्य में यह बताया है कि मृतक के शरीर पर राईगर मोटिस शुरू नहीं हुआ था। ऐसी दशा में जबकि इस बिन्दु पर स्पष्ट रूप से मौखिक साक्ष्य मौजूद है, मात्र उक्त लिए गए आधार पर अभियोजन प्रकरण संदेहास्पद नहीं माना जा सकता।

67. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया अन्य आधार कि मृतक कल्याणसिंह की हत्या कारित करने अथवा आहत बताए गए बिक्रमसिंह की हत्या के प्रयत्न के संबंध में कोई भी हेतुक होना अभियोजन प्रमाणित नहीं है, ऐसी दशा में इस संबंध में किसी भी हेतुक के अभाव में आरोपीगण के विरुद्ध अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं मानी जा सकती। घटना

घटित होने के हेतुक का जहाँ तक प्रश्न है इस संबंध में फरियादी बिक्रमसिंह के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि आरोपीगण से उनकी पहले से रंजिश चली आ रही है घटना के पूर्व बच्चों को लेकर भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ है जैसा कि आई हुई साक्ष्य से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त हत्या के अपराध के संबंध में यह भी आवश्यक नहीं है कि हमेशा कोई हेतुक इसके लिए हो। इस बिन्दु पर ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 1808 नथुनी यादव वि० स्टेट ऑफ विहार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभिधारित किया गया है कि कई बार हत्या बिना किसी हेतुक के भी हो जाती है। वर्तमान प्रकरण जिसमें कि स्पष्ट रूप से चक्षुदर्शी साक्षी है जिनके द्वारा घटना के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऐसी दशा में बचाव पक्ष के द्वारा लिए गए उक्त आधार पर भी अभियोजन प्रकरण प्रतिकूलित होना नहीं माना जा सकता।

68. बचाव पक्ष के द्वारा आरोपी सुरेन्द्र सिंह के संबंध में तथा आरोपीगण अशोक व बदनसिंह के संबंध में "अनयत्र उपस्थिति" (Albee) का आधार लिया है। अनयत्र उपस्थिति के आधार के संबंध में विधिक स्थिति का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि उक्त आधार तभी लिया जा सकता है जबकि आरोपी यह प्रमाणित करे कि वह किसी भी स्थिति में एवं किसी भी प्रकार से घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। जैसा कि इस संबंध में ए.आई.आर 1984 एस.सी. 63 स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विरुद्ध नरसिंगराव गंगाराम पिंपली माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभिधारित किया गया है।

69. बचाव पक्ष की ओर से आरोपी सुरेन्द्र सिंह के घटना दिनांक को गाँव में एवं घटना स्थल पर उपस्थिति न होना बताते हुए उसके संबंध में अनयत्र उपस्थित होने के बिन्दु पर बचाव साक्षी रविन्द्र सिंह ब०सा० 1 के कथन कराए हैं जिनके द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी सुरेन्द्र सिंह जो कि उसका साला है, दिनांक 19.11.10 को टेकनपुर ग्वालियर में उसके यहाँ चल रहे कार्तिक पूनो के समारोह एवं अखण्डरामायण कार्यक्रम ग्राम टेकनपुर ग्वालियर आया था जो कि दिनांक 21 नम्बर, 2010 तक वह उनके यहाँ रहा है।

70. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी जो कि आरोपी सुरेन्द्र सिंह का जीजा लगता है के द्वारा प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने कार्यक्रम में बुलाने के लिए अपने बेटे आनंद को सूचना करने के लिए भेजा था, किन्तु आनंद का कोई भी कथन नहीं कराया गया है। कार्यक्रम होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी को बचाव पक्ष के द्वारा आरोपी सुरेन्द्र के अनयत्र उपस्थिति होने के आशय का कोई सुझाव भी नहीं दिया गया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं घटना के संबंध में अभियोजन के प्रस्तुत चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य कथन में उक्त आरोपी की घटना स्थल पर मौजूदगी एवं उसके द्वारा घटना कारित

किए जाने के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य आई है। ऐसी दशा में उपरोक्त बचाव साक्षी के कथन के आधार पर आरोपी सुरेन्द्रसिंह की अनयत्र उपस्थिति का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

71. आरोपी अशोक तथा बदनसिंह के अनयत्र उपस्थिति के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत बचाव साक्षी जहेन्द्र सिंह व0सा0 2 के द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी अशोक सिंह दिनांक 18.11.2010 को मुरार ग्वालियर स्थिति उसके घर पर आया था जो कि अशोक सिंह का दाहिना पेर मोटरसाइकिल से फिसलकर गिर जाने से फ्रेक्चर हो गया था। अशोकसिंह के साथ उसका भाई बदनसिंह भी उनके यहाँ आया था। अशोक सिंह को डॉक्टर अनिल सकसैना ने प्लास्टर चढ़ाया था और 20-25 दिन तक उनके यहाँ उक्त लोग रहे थे। साक्षी प्रदीप सिंह व0सा0 6 के द्वारा भी अशोक सिंह के फ्रेक्चर होने से इलाज हेतु ग्वालियर में रहना बताया है। डॉक्टर ए0के0सकसैना व0सा0 5 के द्वारा बताया गया है कि दिनांक 18.11.2010 को ट्रामा सेंटर मेडीकल कॉलेज ग्वालियर में अशोक राणा पुत्र माढूसिंह निवासी ग्राम निवरौल तहसील गोहद का इलाज उनके द्वारा किया गया था, उसके टखने के लेट्रिल मेल्यूलश हड्डी में अस्थि भंग होना पाया था व घुटने के नीचे प्लास्टर लगाया था और इलाज की सलाह दी थी। ट्राम सेंटर के इलाज का पर्चा प्र.डी. 6 है और एक्सरे रिपोर्ट प्र.डी. 7 है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि प्लास्टर चढ़ने से वह आसानी से चलने फिरने लायक नहीं था।

72. आरोपी अशोक के पेर में फ्रेक्चर होने और उसका इलाज के संबंध में चिकित्सक डॉक्टर ए.के.सकसैना दिनांक 18.11.2010 को उनके पास इलाज हेतु आना बता रहे हैं और ट्राम सेंटर में जो मरीज आता है उसके आने की प्रविष्टि रजिस्टर में की जाती है, किन्तु ट्राम सेंटर का कोई भी रजिस्टर वह अपने साथ साक्ष्य के दौरान नहीं लाए हैं। उनके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि मरीज को ट्रामा सेंटर में भर्ती नहीं किया गया था केवल इलाज के लिए आए थे। उक्त मरीज इलाज के लिए दुवारा उनके पास आए थे या नहीं यह वह नहीं बता सकता। यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.11.2010 की ओ.पी.डी. पर्ची जो कि प्र.डी. 6 है इसमें भी कहीं भी दुवारा मरीज को दिखाए जाने अथवा उसका कोई प्लास्टर काटे जाने आदि का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार ओ.पी.डी. पर्ची का किसी प्रकार से कोई वेरीफिकेशन भी नहीं हुआ है। वास्तव में उक्त बताए गए मरीज अशोक सिंह ट्राम सेंटर में आया था अथवा नहीं इस बावत भी कोई रजिस्टर की इन्टी न तो पेश की गई है और न प्रमाणित की गई है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि बचाव साक्ष्य की ओर से प्रस्तुत साक्षी प्रदीपसिंह व0सा0 6 दिनांक 17.11.2010 को उसके पिता अशोक का पेर फ्रेक्चर होना बता रहा है और उसके द्वारा पिता को दाहिने पेर में फ्रेक्चर होना बता रहा है,

जबकि चिकित्सक के द्वारा वांए पेर में फ्रेक्चर होना और उसका इलाज करना बताया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि बचाव साक्षी प्रदीप सिंह व0सा0 6 उसके पिता अशोक का पेर फ्रेक्चर होने के दो तीन दिन पहले उसके चाचा गुड्डू का पेर फ्रेक्चर होना और गुड्डू का ग्वालियर इलाज चलना बता रहा है। ऐसी दशा में जबकि अशोकसिंह के ट्रामा सेंटर में इलाज चलने बावत् कोई भी ऐसा रिकॉर्ड जिसमें कि ट्रामा सेंटर में उसके इलाज चलने की पुष्टि होती हो पेश न होने के परिप्रेक्ष्य में इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि गुड्डू का ग्वालियर में इलाज चलने के दौरान अपराध से बचने हेतु पिछली तारीख में पर्चा बनवा लिया गया हो।

73. इस बिन्दु पर बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी जहेन्द्र सिंह जिसके यहाँ आरोपी अशोक इलाज के दौरान रुकना बताया जा रहा है और जो कि यह साक्ष्य में यह भी बता रहा है कि बदनसिंह भी उसके 20-25 दिन इस दौरान उसके यहाँ थे। उक्त साक्षी जिसकी छोटी बहन आरोपी अशोक के लिए विहायी होनी बताई है इस प्रकार से आरोपी अशोक उसका बहनोई है। उक्त साक्षी का ग्वालियर में मुरार में कोई मकान होने आदि के संबंध में भी कोई प्रमाण पेश नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि अशोक के पेर फ्रेक्चर होने के पहले उसके भाई गुड्डू का पेर भी फ्रेक्चर होना बताया जा रहा है, किन्तु गुड्डू के संबंध में उक्त साक्षी के द्वारा बता जा रहा है कि उस समय गमी होने से गुड्डू उनके यहाँ नहीं रुका था। साक्षी के कथन स्वभाविक नहीं लगते हैं। ऐसी दशा में उक्त साक्षी के कथन के आधार पर 20-25 दिन तक आरोपी अशोकसिंह के उनके यहाँ रहने और उसके साथ आरोपी बदनसिंह के रहने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

74. वर्तमान प्रकरण में स्पष्ट रूप से घटना के तुरंत पश्चात् दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी सुरेन्द्र, बदनसिंह एवं अशोक के मौजूद होने एवं उनके पास अग्नेय शस्त्र होने के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख आया है तथा अभियोजन साक्षियों के कथनों के आधार पर भी उनकी घटना स्थल पर मौजूदगी एवं घटना कारित किए जाने के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य आई है। ऐसी दशा में उनके घटना दिनांक को घटना स्थल पर मौजूद न होकर अनयत्र उपस्थिति के संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया आधार प्रमाणित नहीं होता है।

75. बचाव पक्ष के द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि जो घटना घटित होनी बताई जा रही है वह वास्तव में जिस स्थान पर घटित होनी बताई जा रही है वहाँ पर घटित न होकर घटना ग्राम निवरौल के तालाब के पास की सुबह 05:00-05:30 बजे की है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत बचाव साक्षी अरविंद सिंह व0सा0 3 और मानसिंह व.सा. 4 के द्वारा यह बताया गया है कि ग्राम निवरौल के तालाब के पास जहाँ कि लोग शौच के लिए

जाते हैं। तालाब की पार पर करीब सुबह 05:00—05:30 बजे फायर की आवाज सुनी थी और फायर करने वाले तीन लोग थे जिनको वह पहिचना नहीं पाए थे। उक्त लोग जंगल की तरफ भाग गए थे। तालाब की पार के नीचे रास्ते में कल्याणसिंह मरे पड़े थे और बिक्रमसिंह वेहोश थे। चौकीदार को उन्होंने उक्त बात बताई थी। साक्षी प्रदीप सिंह व0सा0 6 के द्वारा यह बताया गया है कि उसके परिवार वालों को बिक्रमसिंह के द्वारा फंसाया गया है जो कि मोहकमसिंह से मुकद्दमा चलने के कारण उनके परिवार के 8 लोगों को फंसाया गया है। मोहकमसिंह से कलेक्ट्रेट भिण्ड में मुकद्दमा चला था जिसमें आदेश की प्रति प्र.डी.8 उसके द्वारा पेश की गई है।

76. बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त बचाव साक्षियों के कथन का जहाँ तक प्रश्न है। बचाव साक्षी अरविंद सिंह प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उसके अच्छे संबंध हैं और आरोपीगण उसके पड़ोसी हैं। उक्त साक्षी गाँव के चौकीदार को कल्याणसिंह के पार के पास मरे होने और बिक्रमसिंह के वेहोश होने की बात बताना अभिकथित कर रहा है। इसी प्रकार साक्षी मानसिंह भी चौकीदार को इस बारे में बताना अभिकथित कर रहा है तथा यह बताया है कि उसने पुलिस को कभी पहले उक्त बात नहीं बताई थी। यह उल्लेखनीय है कि यदि गाँव के चौकीदार को तालाब की पार के पास कल्याणसिंह के मृत अवस्था में होने और बिक्रमसिंह के वेहोश अवस्था में होने की बात उनके द्वारा बताई गई थी तो बचाव पक्ष के द्वारा कहीं भी उक्त गाँव के बताए गए चौकीदार डमरू खों का कोई साक्ष्य नहीं कराया गया है। उक्त साक्षियों के द्वारा कभी भी पुलिस को इस आशय का कोई सूचना या कथन नहीं दिया गया है कि वास्तव में उक्त बताई गई घटना ग्राम निवरौल के तालाब के पास की है। इस प्रकार उपरोक्त बचाव साक्षियों के द्वारा दी गई साक्ष्य के आधार पर अभियोजन के द्वारा बताई गई घटना एवं प्रकरण की प्रमाणिकता प्रतिकूलित होनी नहीं मानी जा सकती। प्रदीप सिंह व0सा0 6 जो कि मोहकमसिंह के साथ उनका विवाद चलना और मोहकमसिंह के द्वारा उसके परिवार के सदस्यों को फंसाने अभिकथित किया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि मोहकमसिंह के साथ कोई मुकद्दमा चला है आरोपीगण को झूठा फंसाया जाने का कोई आधार नहीं माना जा सकता।

77. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से घटना दिनांक को आरोपी पुलंदरसिंह कुल्हाड़ी लिए हुए, आरोपी अनलि, निरंजन एवं नारायणसिंह लाठी लिए हुए, आरोपी जोगेन्द्र सिंह कट्टा लिए हुए, सुरेन्द्र सिंह और बदनसिंह माउजर बंदूक और अशोकसिंह 12 बोर का बंदूक लिए हुए घटना स्थल पर मौजूद होने का तथ्य अभियोजन साक्षियों के कथनों के आधार पर प्रमाणित है। इस प्रकार घटना स्थल पर आठों आरोपीगण जो कि पांच से अधिक हैं की

उपस्थिति का तथ्य स्पष्ट रूप से साक्ष्य में आया है। उक्त आरोपीगण घटना स्थल पर घातक आयुधों से सुज्जित होकर आए थे जो कि उक्त विधि विरुद्ध जमाव का आशय कल्याणसिंह एवं बिक्रमसिंह पर बल व हिंसा का प्रयोग कर उनकी हत्या करने का था और इस दौरान विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहते हुए आरोपी बदनसिंह एवं सुरेन्द्र सिंह के द्वारा मृतक कल्याणसिंह को गोली मारी गई जो कि सुरेन्द्र सिंह के द्वारा उसके गर्दन में गोली मारी गई। उक्त मारपीट की घटना के दौरान आहत बिक्रमसिंह को जान से मारने की नियत से इस आशय या ज्ञान से या ऐसी परिस्थितियों में कि उसकी हत्या हो सकती है आरोपी पूरन उर्फ पुलंदर के द्वारा धारदार हथियार कुल्हाड़ी से उसके मार्मिक स्थल सिर में चोट पहुँचाने तथा अन्य आरोपी अनिलसिंह व नारायणसिंह के द्वारा भी उसकी लाठियों से मारपीट किए जाने का तथ्य भी प्रमाणित है। उक्त आठों आरोपी पूरी घटना के दौरान मौजूद रहे हैं इस प्रकार घटना दिनांक को घटना समय व स्थान पर आरोपीगण के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर उसके अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग किया जाना प्रमाणित है और इस दौरान आरोपीगण घातक आयुधों से सुज्जित होकर उक्त बलवा कारित किया जाना भी प्रमाणित है।

78. प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि सभी आरोपीगण घटना स्थल पर घटना के समय मौजूद थे जिसमें कि कल्याणसिंह की हत्या हुई है तथा बिक्रमसिंह की हत्या का प्रयत्न किया गया है। ऐसी दशा में जबकि घटना स्थल पर विधि विरुद्ध जमाव का गठन होना और उसके सदस्य आरोपीगण के होने का तथ्य प्रमाणित है। सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य कर घटना कारित करने के संबंध में धारा 149 भा.दं.वि. हेतु यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहा है तो इस आधार पर दोषसिद्ध ठहराई जा सकती है, भले ही यह प्रमाणित न हुआ हो कि उस आरोपी विशेष के द्वारा स्वयं कोई मारपीट की घटना की गई है अथवा नहीं, जमाव के सभी सदस्यों के द्वारा कोई कृत्य किया जाना भी आवश्यक नहीं है जैसा कि इस संबंध में ए.आई.आर. 1997 सुप्रीम कोर्ट 2810 प्रतापोन्नी रवि कुमार उर्फ रवि वि० स्टेट ऑफ आन्ध्रप्रदेश, ए.आई.आर. 1989 सुप्रीमकोर्ट 754 लालजी वि० स्टेट ऑफ यू.पी. 2008 सी.आर.एल.जे. 696 इस संबंध में उल्लेखनीय है जिनमें कि यह अभिधारित किया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने मात्र के आधार पर धारा 149 भा०दं०वि० के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराई जा सकती है। वर्तमान प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित है कि आरोपी सुरेन्द्र सिंह एवं बदनसिंह जिनके द्वारा मृतक कल्याणसिंह को गोली मारी गई तथा आरोपी पुलंदर, अनिल और नारायणसिंह जिनके द्वारा मारपीट की घटना की जानी बताई गई है उनके अतिरिक्त अन्य आरोपीगण भी घटना स्थल पर उनके साथ मौजूद थे जो कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य

रहते हुए कल्याणसिंह की हत्या की गई और बिक्रमसिंह की हत्या का प्रयत्न किया गया। इस प्रकार सहआरोपीगण को धारा 149 भा0दं0वि0 के आधार पर दोषसिद्ध ठहराई जा सकती है।

बिन्दु क्रमांक 8, 9:-

79. प्रकरण में अभियोजन के द्वारा वर्तमान प्रकरण के आरोपी योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र के आधिपत्य से 315 बोर का कट्टा जिसे कि वह अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखे था जप्त किया जाना बताया गया है तथा यह भी बताया गया है कि उक्त 315 बोर का कट्टा घटना कारित करने के दौरान आरोपी योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र अपने पास रखे हुए था और इस दौरान उपरोक्त घटना जिसमें कि कल्याणसिंह की मृत्यु हुई है तथा बिक्रमसिंह पर प्राणघातक हमला हुआ है। प्रकरण के विवेचना अधिकारी उमेश सिंह तोमर अ0सा0 11 के द्वारा दिनांक 29.12.2010 को उक्त आरोपी के मेमोरेडम कथन प्र.पी. 12 में दी गई इस सूचना के आधार पर कि कट्टा उसने निवरौल के पास रोड के किनारे छिपाकर रख दिया है उसे बरामद कराए देता हूँ इस आधार पर आरोपी योगेन्द्र के रोड के किनारे झाड़ियों के नीचे से पेश करने पर प्र. पी. 18 के अनुसार कट्टा की जप्ती की जानी बताई गई है।

80. आरोपी योगेन्द्र सिंह से कट्टे की जप्ती के संबंध में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी अजय सिंह अ0सा0 8 के द्वारा आरोपी योगेन्द्र सिंह के मेमोरेडम कथन के आधार पर कोई भी जप्ती के तथ्य का समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर इस संबंध में सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उसके कथनों से उक्त जप्ती के तथ्य का कोई समर्थन नहीं हुआ है। जप्ती के संबंध में अन्य स्वतंत्र साक्षी उमेश कांकर का साक्ष्य कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराया गया है। इस प्रकार आरोपी योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र से कट्टे की जप्ती का समर्थन किसी भी स्वतंत्र साक्षी के कथन के आधार पर नहीं हुआ है।

81. इस संबंध में विवेचना अधिकारी उमेशसिंह तोमर अ0सा0 11 के कथन का जहाँ तक प्रश्न है। सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि आरोपी योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र से कथित कट्टे की जप्ती खुले स्थान से होनी बताई जा रही है जो कि सड़क के किनारे से उक्त कट्टे की जप्ती की जानी बताई जा रही है। यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 20.11.2010 की है और घटना से एक माह नो दिन पश्चात् खुले स्थान सड़क के किनारे से कट्टे की जप्ती की जानी उनके द्वारा बताया गया है। ऐसी दशा में कट्टे की जप्ती का समर्थन या पुष्टि जबतक किसी स्वतंत्र साक्षी के कथन के आधार पर न हो मात्र विवेचना अधिकारी उमेशसिंह तोमर के कथन के आधार पर उक्त जप्ती की कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित होनी मानी जानी कदापि

सुरक्षित नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त जप्तशुदा कट्टे की साक्ष्य के दौरान कोई पहिचान भी जप्तीकर्ता अधिकारी या किसी भी साक्षी से अभियोजन के द्वारा नहीं कराई गई है।

82. अभियोजन के द्वारा अपने तर्क के दौरान उपरोक्त संबंध में यह बताया गया है कि उक्त कट्टा जॉच हेतु न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है जहाँ कि उसे चालू हालत में होना पाया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन आरोपी योगेन्द्र सिंह के विरुद्ध अवैध कट्टा रखे जाने के संबंध में अभियोजन स्वीकृति भी ली गई है जो कि इस संबंध में अभियोजन शाखा जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के आर्म्स लिपिक योगेन्द्र सिंह कुशवाह अ0सा0 1 के द्वारा तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के द्वारा आरोपी योगेन्द्र उर्फ जोगेन्दर के विरुद्ध आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति प्र.पी. 1 के अनुसार प्रदान की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जप्तीकर्ता अधिकारी के कथन के आधार पर उक्त अवैध कट्टा आरोपी अपने आधिपत्य में रखा होना प्रमाणित होता है। अभियोजन के साक्षियों के द्वारा आरोपी जोगेन्द्र उर्फ योगेन्द्र के पास घटना के समय 315 बोर का कट्टा होना बताया गया है और इस दौरान घटना कारित की गई है, इस परिप्रेक्ष्य में घटना में कट्टा का उपयोग किया जाना भी प्रमाणित है।

83. अभियोजन के उपरोक्त तर्क का जहाँ तक प्रश्न है, साक्षी उमेशसिंह तोमर जिनके द्वारा कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित विवेचना की सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है। आरोपी योगेन्द्र उर्फ जोगेन्दर से कट्टे की जप्ती का समर्थन किसी भी स्वतंत्र साक्षी के कथन के आधार नहीं होता है, जबकि जप्ती खुले स्थान से होनी बताई जा रही है, हथियार की कोई पहिचान भी नहीं की गई है। इस संबंध में 1999 सी.आर.एल.जे. 19 सन्सपाल वि0 स्टेट ऑफ दिल्ली, 1995 सी.आर.एल.जे. 3648 दौलतराम वि0 स्टेट ऑफ हरियाणा उल्लेखनीय है जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिधारित किया गया है कि मात्र जप्तीकर्ता अधिकारी के कथन के आधार पर जबकि स्वतंत्र साक्षी मौजूद थे उनका कोई कथन नहीं कराया गया है और स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा जप्ती के तथ्य का समर्थन नहीं किया जा रहा हो तो इस परिप्रेक्ष्य में मात्र जप्तीकर्ता अधिकारी के कथन के आधार पर धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं ठहराई जा सकती।

84. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि आरोपी योगेन्द्र उर्फ जोगेन्दर के आधिपत्य से कथित अग्नेय शस्त्र कट्टे की जप्ती का तथ्य युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित नहीं है, मात्र इस आधार पर कि परीक्षण के दौरान राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा कट्टे को चालू आलत में होना पाया गया है तथा आरोपी योगेन्द्र उर्फ जोगेन्दर को धारा 25 आयुध



अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने के संबंध में स्वीकृति जिला दण्डाधिकारी के द्वारा दी गई है, इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं मानी जा सकती। इस परिप्रेक्ष्य में जबकि आरोपी जोगेन्द्र से उक्त अग्नेय शस्त्र की जप्ती का तथ्य ही प्रमाणित नहीं है, आरोपी योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र के द्वारा घटना कारित करते समय उपरोक्त अवैध अग्नेय शस्त्र का उपयोग किया जाने का तथ्य भी इस परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता। तदनुसार उक्त दोनों बिन्दु अभियोजन के द्वारा प्रमाणित नहीं कराए जा सके हैं।

85. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि घटना दिनांक को घटना समय व स्थान पर आरोपीगण निरंजन सिंह, नारायणसिंह, योगेन्द्र सिंह उर्फ जोगेन्द्रसिंह, अनिलसिंह, अशोकसिंह, पूरन उर्फ पुलंदरसिंह, सुरेन्द्र सिंह एवं बदनसिंह जो कि संख्या में आठ थे घटना स्थल पर मौजूद थे, उनके द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया जाना जिसका सामान्य उद्देश्य फरियादी बिक्रमसिंह व उसके भाई कल्याणसिंह पर बल व हिंसा का प्रयोग का था और इस दौरान घातक आयुधों से सुज्जित होकर बलवा कारित किया जाना भी प्रमाणित है। अभियोजन साक्ष्य के आधार पर यह भी प्रमाणित होता है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर मृतक कल्याणसिंह की हत्या की गई जो कि आरोपी सुरेन्द्र सिंह के द्वारा गर्दन में गोली मारकर उसकी हत्या की और इस दौरान शेष आरोपीगण उस विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहे हैं जिसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कल्याणसिंह की हत्या कारित हुई। उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आहत बिक्रमसिंह की हत्या करने का प्रयत्न जो कि आरोपी पूरन उर्फ पुलंदर के द्वारा धारदार हथियार कुल्हाड़ी से उसके मार्मिक स्थल सिर पर इस दौरान उसे चोट पहुँचाई गई जो कि इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थिति में किया गया कि यदि बिक्रमसिंह की मृत्यु हो जाती तो आरोपी हत्या के दोषी हो जाते, इस दौरान शेष आरोपीगण जो कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहे और उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए बिक्रमसिंह की हत्या का प्रयास किया गया। जहाँ तक आरोपी योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र के संबंध में उसके आधिपत्य से अवैध अग्नेय शस्त्र बिना लाइसेंस के रखे होने और उस अग्नेय शस्त्र का उपयोग करने का प्रश्न है, उक्त संबंध में आरोपी योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र के विरुद्ध प्रमाणित नहीं हुआ है।

86. तदनुसार आरोपी सुरेन्द्र पुत्र माठूसिंह उर्फ रायसिंह को धारा 148, 302, 307/149 भा.दं.वि. के अपराध के आरोप हेतु दोषसिद्ध ठहराया जाता है। आरोपी पूरन उर्फ पुलंदरसिंह पुत्र नारायणसिंह को धारा 148, 302/149, 307 भा.दं.वि. के अपराध हेतु दोषसिद्ध

ठहराया जाता है। आरोपीगण निरंजन सिंह पुत्र जण्डेलसिंह राणा, नारायणसिंह पुत्र माटू उर्फ रायसिंह, अनिल सिंह पुत्र प्रेमसिंह, अशोकसिंह पुत्र माटू सिंह उर्फ रायसिंह एवं बदनसिंह पुत्र माटूसिंह उर्फ रायसिंह को 148, 302/149, 307/149 भा०दं.वि० के आरोप हेतु दोषसिद्ध ठहराया जाता है। आरोपी योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र को धारा 148, 302/149, 307/149 भा०दं.वि० के आरोप के संबंध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है जबकि उक्त आरोपी योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र को धारा 25(1-बी)ए एवं 27 आयुध अधिनियम के अपराध के संबंध में दोषमुक्त किया जाता है।

87. दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लेखन स्थगित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(डी.सी.थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड

88. दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण के विद्वान अभिभाषक एवं शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक के द्वारा यह व्यक्त किया गया कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में विधि के द्वारा विहित अधिकतम दण्ड आरोपीगण को आरोपित किया जाए। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए तथा आरोपीगण जिनका कि कोई पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड होना भी प्रमाणित नहीं है को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान प्रकरण बिरल से बिरलतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता है जो कि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 898 बचनसिंह विरुद्ध पंजाब राज्य एवं ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 947 माचीसिंह बनाम पंजाब राज्य में बिरल से बिरलतम प्रकरणों की स्थिति दर्शाई गई है। फलतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को उपरोक्त दोषसिद्ध ठहराये गये अपराध हेतु निम्न तालिका अनुसार दण्डित किया जाता है :-

आरोपी का नाम	धारा	कारावास	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में।
सुरेन्द्र सिंह	148 भा०दं.वि०	तीन वर्ष सश्रम	1000/- (एक हजार)रु.	तीन माह सश्रम कारावास
	302 भा०दं.वि०	आजीवन कारावास	10000/- (दस हजार)रु.	दो वर्ष सश्रम कारावास
	307/149 भा०दं.वि०	सात वर्ष सश्रम	2000/- (दो हजार)रु.	एक वर्ष सश्रम कारावास

पूरन उर्फ पुलंदरसिंह	148 भा०दं.वि०	तीन वर्ष सश्रम	1000 / –(एक हजार)रु.	तीन माह सश्रम कारावास
	302 / 149 भा०दं.वि०	आजीवन कारावास	10000 / –(दस हजार)रु	दो वर्ष सश्रम कारावास
	307 भा०दं.वि०	सात वर्ष सश्रम	2000 / –(दो हजार)रु	एक वर्ष सश्रम कारावास
निरंजनसिंह	148 भा०दं.वि०	तीन वर्ष सश्रम	1000 / –(एक हजार)रु.	तीन माह सश्रम कारावास
	302 / 149 भा०दं.वि०	आजीवन कारावास	10000 / –(दस हजार)रु	दो वर्ष सश्रम कारावास
	307 / 149 भा०दं.वि०	सात वर्ष सश्रम	2000 / –(दो हजार)रु	एक वर्ष सश्रम कारावास
नारायणसिंह	148 भा०दं.वि०	तीन वर्ष सश्रम	1000 / –(एक हजार)रु.	तीन माह सश्रम कारावास
	302 / 149 भा०दं.वि०	आजीवन कारावास	10000 / –(दस हजार)रु	दो वर्ष सश्रम कारावास
	307 / 149 भा०दं.वि०	सात वर्ष सश्रम	2000 / –(दो हजार)रु	एक वर्ष सश्रम कारावास
अनिल सिंह	148 भा०दं.वि०	तीन वर्ष सश्रम	1000 / –(एक हजार)रु.	तीन माह सश्रम कारावास
	302 / 149 भा०दं.वि०	आजीवन कारावास	10000 / –(दस हजार)रु	दो वर्ष सश्रम कारावास
	307 / 149 भा०दं.वि०	सात वर्ष सश्रम	2000 / –(दो हजार)रु	एक वर्ष सश्रम कारावास
अशोक सिंह	148 भा०दं.वि०	तीन वर्ष सश्रम	1000 / –(एक हजार)रु.	तीन माह सश्रम कारावास
	302 / 149 भा०दं.वि०	आजीवन कारावास	10000 / –(दस हजार)रु	दो वर्ष सश्रम कारावास
	307 / 149 भा०दं.वि०	सात वर्ष सश्रम	2000 / –(दो हजार)रु	एक वर्ष सश्रम कारावास

बदनसिंह	148 भा0दं.वि0	तीन वर्ष सश्रम	1000/—(एक हजार)रु.	तीन माह सश्रम कारावास
	302/149 भा0दं.वि0	आजीवन कारावास	10000/—(दस हजार)रु	दो वर्ष सश्रम कारावास
	307/149 भा0दं.वि0	सात वर्ष सश्रम	2000/—(दो हजार)रु	एक वर्ष सश्रम कारावास
योगेन्द्र सिंह उर्फ जोगेन्द्र सिंह	148 भा0दं.वि0	तीन वर्ष सश्रम	1000/—(एक हजार)रु.	तीन माह सश्रम कारावास
	302/149 भा0दं.वि0	आजीवन कारावास	10000/—(दस हजार)रु	दो वर्ष सश्रम कारावास
	307/149 भा0दं.वि0	सात वर्ष सश्रम	2000/—(दो हजार)रु	एक वर्ष सश्रम कारावास

89. आरोपीगण को प्रदत्त उपरोक्त सभी धाराओं की सजाएं एक साथ भुगताए जाने का आदेश दिया जाता है।

90. प्रकरण के अनुसंधान, जॉच एवं विचारण के दौरान न्यायिक निरोध में भुगताई गई सजा मूल सजा में मुजरा की जाए। इस संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाणपत्र तैयार हो।

91. प्रकरण में अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर प्रतिकर स्वरूप मृतक कल्याणसिंह को विधिक वारिसों को 75,000/— रुपए दिलाए जाने का आदेश दिया जाता है। आहत बिक्रमसिंह को 15,000/—रुपए प्रतिकर स्वरूप उपरोक्त अर्थदण्ड की राशि में दिलाए जाने का आदेश दिया जाता है।

92. प्रकरण में जप्तशुदा बॉस की लाठियाँ तीन, कुल्हाड़ी एक नग, मृतक के कपड़ों की शीलबंद पोटली, एक सॉल, एक शर्ट तथा 315 बोर के तीन खाली खोखे और 12 बोर का खाली खोखा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किए जाए। जप्तशुदा 315 बोर का देशी कट्टा बिना लाइसेंसी विधिबत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को अपील अवधि पश्चात् भेजा जाए। जप्तशुदा 12 बोर की दुनाली बंदूक जो कि आरोपी अशोकसिंह की लाइसेंसी होनी बताई गई है तथा जप्तशुदा 315 बोर की रायफल जिसका नम्बर ए.बी-06-00219 जो कि आरोपी बदनसिंह की लाइसेंसी होना बताया गया है तथा एक रायफल 315 बोर जर्मन एन.पी. जिसका नम्बर ई15359 जो कि आरोपी सुरेन्द्र सिंह की

लाइसेंसी होनी बताई गई है। उक्त लाइसेंसी बंदूकों के संबंध में वैध एवं प्रभावी लाइसेंस पेश होने पर उन्हें उनके स्वामी को अपील अवधि पश्चात् वापस की जाए। अपील होने के दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड